Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

फ़रवरी 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

19/02/2024 से 25/02/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का युग : बनाम योग्यता को पुनः व्यवस्थित करना	1 - 8
2.	भारत – ग्रीस द्विपक्षीय संबंध	9 - 14
3.	भाषण की स्वतंत्रता पर न्यायिक स्पष्टता	14 - 20
4.	भेदभाव का अंत बनाम भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण	20 - 31
5.	भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के नए दौर में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023	31 - 39
6.	इंटरनेट शटडाउन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	39 - 45

करंट अफेयर्स फ़रवरी 2024

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का युग : बनाम योग्यता को पुनः व्यवस्थित करना

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी , कृत्रिम बुद्धिमत्ता, योग्यतातंत्र, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार, नीति आयोग, सतत विकास लक्ष्य ।

खबरों में क्यों ?

- हाल के दिनों में पूरे वैश्विक स्तर के नीति निर्माताओं के बीच योग्यतातंत्र की अवधारणा पर , जिसमें व्यक्तियों को उनकी सामाजिक स्थिति या उनकी पारिवारिक, जातीय , लैंगिक, नस्लीय या सामाजिक पृष्ठभूमि के बजाय उनकी क्षमताओं, उपलब्धियों और कड़ी मेहनत के आधार पर पुरस्कृत और आगे बढ़ाया जाता है, पर बहुत बड़ी और विस्तृत बहस हुई है। योग्यतातंत्र के समर्थक और आलोचक इसके गुणों और कमियों को उजागर करते हुए, समाज पर इसके प्रभावों के बारे में तर्क पेश करते रहे हैं। ब्रिटिश समाजशास्त्री माइकल यंग, माइकल सैंडल और एड्रियन वूल्ड्रिज जैसे विचारकों की आलोचनाओं और विश्लेषणों से प्रभावित होकर पूरी दुनिया में योग्यतातंत्र के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं।
- ब्रिटिश समाजशास्त्री माइकल यंग ने अपनी व्यंग्यात्मक पुस्तक **'द राइज़ ऑफ़ द मेरिटोक्रेसी' (1958)** में एक डिस्टोपियन मेरिटोक्रेटिक दुनिया की भविष्यवाणी की थी।
- उन्होंने 2034, तक एक ऐसे समाज के रूप में जहां सामाजिक वर्ग और गतिशीलता पूरी तरह से बुद्धि और प्रयास द्वारा निर्धारित की जाती थी, जैसा कि मानकीकृत परीक्षण और शैक्षिक उपलब्धि के माध्यम से मापा जाता था की

भविष्य की कल्पना की थी। यह योग्यता – आधारित प्रणाली के प्रति तत्कालीन उभरती प्रवृत्ति की आलोचना थी, जिससे उन्हें डर था कि इससे सामाजिक स्तरीकरण का एक नया रूप सामने आएगा।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी एक विशेष शाखा है जो मशीनों को बुद्धिमत्ता के साथ काम करने की क्षमता प्रदान करने का अध्ययन करती है।
- इस शाखा के अंतर्गत, मशीनों को स्वयं से सीखने और समस्याएं हल करने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रयोग की जाने वाल विभिन्न तकनीकों का अध्ययन होता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य मशीनों को मानव की तरह ही बुद्धिमत्ता के साथ कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करना है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी में अनेक उप शाखाएं शामिल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई जाती हैं।
- मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें स्वयं ही उसमे फीड की गई डेटा से ही सीखती हैं और निर्णय लेती हैं।
- डीप लर्निंग मशीनों को बहुतंत्रीय विधि की अपेक्षा खुद से सीधे सीखने की क्षमता प्रदान करता है। रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी में, मशीनों को भौतिक कार्रवाई करने की क्षमता दी जाती है। परिधेय प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मानव शरीर में लगे उपकरणों और उन्हें इंटरनेट से जोड़ने की तकनीकों का अध्ययन करती हैं।
- इन तकनीकों का संयोजन करके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी कई क्षेत्रों में उपयोग हो रही है। ये तकनीकें मानवीय जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग हो रही हैं। उदाहरण के लिए – स्वच्छता के लिए रोबोट, ऑटोमेटेड वाहन, और स्वास्थ्य सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हो रहा है।
- इस प्रकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी एक नई युग की शुरुआत कर रही है, जिसमें मशीनें मानवों के साथ मिलकर काम करके मानव जीवन को और भी सुविधाजनक बना रही हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का परिचय :

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एक ऐसा क्षेत्र है जो तकनीकी और विज्ञानात्मक उन्नति के क्षेत्रों में अद्वितीय बदलाव ला रहा है। इसमें मशीनों को बुद्धिमत्ता का अहसास कराया जाता है, जिससे वे निर्धारित कार्यों को स्वतंत्रता से निष्पादित कर सकती हैं। यह नई तकनीक के साथ साथ नए चुनौती भरे संदर्भों को भी उत्पन्न कर रहा है, जिनमें योग्यता की नई परिभाषाएँ और मानकों की आवश्यकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए राष्ट्रीय रणनीति के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने वाली नीति आयोग द्वारा जारी की गई इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों तक एआई की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की जाए और उन्हें तकनीकी सामर्थ्य विकसित करने के लिए समर्थ बनाया जाए।

नीति आयोग के द्वारा घोषित की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य :

- इस राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य है कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कुशल विशेषज्ञता की कमी को दूर किया जाए और इसे बढ़ावा दिया जाए। नीति आयोग यह भी मानती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में असंगत चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए, ताकि मानव की क्षमताओं को बढ़ावा मिले और उसे सशक्त बनाया जा सके।
- नीति आयोग की इस राष्ट्रीय रणनीति का मुख्य लक्ष्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विभिन्न पहलों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना, उनके प्रभावी क्रियान्वयन से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए समाधान विकसित करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से आर्थिक विकास की गतिविधियों को गति देना है।
- नीति आयोग के द्वारा घोषित की गई इस राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य है कि एआई के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों से निपटा जाए, बल्कि विश्व स्तर की चुनौतियों से भी निपटा जाए।

- इस राष्ट्रीय रणनीति के तहत, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित उद्देश्यों में यह शामिल है कि इस क्षेत्र में आपसी सहयोग और साझेदारी के माध्यम से तकनीकी लाभ को सभी तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी को समृद्धि का सर्वांगीण लाभ हो सके।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए नीति आयोग द्वारा घोषित गई राष्ट्रीय रणनीति के उद्देश्यों में #AI for All (#एआई फॉर ऑल) यानी सभी लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वार खोलना और उन्हें उसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने तीन मुख्य घटकों को निर्धारित किया है जो 'ग्रेटर गुड' की दिशा में काम करेंगे। ये तीन घटक निम्नलिखित हैं –

सामाजिक और समावेशी विकास के लिए ग्रेटर गुड के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता :

1. इस घटक के माध्यम से, सामाजिक विकास और समावेशी विकास की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जीवन की गुणवत्ता में सुधार, लोगों की पहुंच में समानता, और समृद्धि में सामाजिक समावेश शामिल हैं।

भारत के लिए आर्थिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोगिता और अवसर :

- इस घटक के तहत, भारतीय आर्थिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए उच्च विकासशील तकनीकी और बुद्धिमत्ता के अवसरों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है।

विश्व के 40% लोगों के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता गैराज :

- इस घटक के माध्यम से, भारत ने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विश्व के लोगों के साथ साझा करने और विश्व स्तर पर एक 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता गैराज' बनाने का उद्देश्य रखकर उसे विकसित करने का कार्य कर रहा है।
- इन तीनों घटकों के माध्यम से, नीति आयोग ने सामाजिक, आर्थिक, और विश्व स्तर पर देश की कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया है। इससे न केवल भारत में विकास होगा, बल्कि यह विश्व समृद्धि में भी योगदान करेगा।

भारत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग आर्थिक क्षेत्र में कई तरीकों से करने के लिए एक अवसर प्रदान कर सकता है। नीति आयोग ने इसे राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा माना है और इसे आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में स्वीकृत किया है।

1. **उत्पादन में वृद्धि :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि होने से आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी। यह नए और तीव्र गति से उत्पादन करने का अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे भारत के बाजार में नए उत्पादों और सेवाओं का प्रवेश होगा।
2. **औद्योगिक विकास :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी से औद्योगिक क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे न केवल उत्पादकता में वृद्धि होगी, बल्कि यह आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा।
3. **सेवा क्षेत्र में सुधार :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सेवा क्षेत्र में भी सुधार हो सकता है। इससे सेवाओं की आपूर्ति में तेजी और गुणवत्ता में सुधार होगा।
4. **आर्थिक विकास में तेजी :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से आर्थिक विकास में तेजी हो सकती है। नीति आयोग के अनुसार यह प्रौद्योगिकी भारत की विकास दर को बढ़ा सकती है।
5. **विश्व के अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान :** भारत के इस उपयोग से विभिन्न समस्याओं के लिए मापनीय समाधान खोजने में विश्व के उद्यमों और संस्थानों के लिए एक आदर्श कार्यक्षेत्र उपस्थित हो सकता है। इससे विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद मिल सकती है।

6. **जलवायु परिवर्तन के कारकों के प्रति अनुसंधान :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी की मदद से जलवायु परिवर्तन के कारकों की अनुसंधान की जा सकती है, जो कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। इससे भारत के साथ – ही – साथ विश्व के अन्य विकासशील देशों के लिए भी उपयोगी तकनीकी समाधान मिल सकता है।

- भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा चयनित क्षेत्रों की चर्चा में, नीति आयोग ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन, स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढाँचा जैसे पाँच क्षेत्रों को चुना है। इन क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।

- नीति आयोग ने इस दिशा में कई पहलें भी की हैं। उदाहरास्वरूप – **' सामाजिक – सशक्तीकरण के लिए ज़िम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020 ' (RAISE 2020) समिट का आयोजन, ' युवाओं के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम ' की शुरुआत, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ' यूएस इंडिया आर्टि-फिशियल इंटेलिजेंस पहल ' (USIAI) की शुरुआत।** इसके अलावा, भारत ने 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी' (GPAI) समूह में शामिल होकर विश्व स्तर पर भी कई योजनाएं बनाई हैं।

- इसके साथ – ही- साथ भारत में 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारतीय संस्थानों ने विभिन्न तकनीकी प्रगतियों की खोज और विकास में भी योगदान किया है। इसमें **भारतीय रेलवे की एक शाखा द्वारा विकसित किए गए चैटबॉट 'आस्कदिशा', भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किए गए 'कृत्रिम पत्ती' और भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा तैयार किए गए सर्प रोबोट** जैसे उदा-हरण शामिल हैं। इन पहलों के माध्यम से भारत स्वतंत्रता और सामाजिक विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा चयनित पाँच क्षेत्रों की राष्ट्रीय रणनीति के तहत निर्देशित किया जा रहा है। इन पाँच क्षेत्रों में विकास की संभावनाएँ सबसे अधिक मानी जा रही हैं, और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन पाँच क्षेत्रों का चयन निम्नलिखित है –

1. **शिक्षा और कौशल क्षेत्र :** शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिकीकरण करना और छात्रों को नई तकनीकों से अवगत कराना शामिल है ।

2. **कृषि क्षेत्र :** भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के अग्रणी तकनीकी उपायों का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है ।

3. **स्वास्थ्य क्षेत्र :** भारत में चिकित्सा या सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी की नई तकनीकों का उपयोग करके रोगों के निदान और उपचार में सुधार करना शामिल है।

4. **स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन :** भारत के परिवहन तंत्र के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके परिव-हन तंत्र के क्षेत्र को एकीकृत और स्मार्ट बनाया जा सकता है।

5. **स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढाँचा :** भारत में शहरी विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग करके स्मार्ट सिटी की बनावट में सुधार करना और बुनियादी ढाँचा में नए और सुरक्षित तकनीकों का अनुसरण करना शामिल है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी और भारत :

- भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। अतः भारत में अनेक प्रकार की समस्याओं होने के साथ – ही – साथ उनकी बढ़ती मात्रा और उससे जुडी जटिलतायें भी है। ऐसी परिस्थिति में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान प्रदान कर सकती है। नीति -निर्माताओं और विशेषज्ञों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास से भारत को एक आदर्श क्षेत्र में बदला जा सकता है। इसलिए, भारत सरकार को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।

- नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत की संभावनाओं का विश्लेषण किया है और

इसका अध्ययन किया है कि यदि इसे ठीक से उपयोग किया जाता है, तो इससे 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का वृद्धि हो सकता है। इस सर्वे के अनुसार, भारत में अभी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के विकास के लिए बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके विकास में वर्तमान समय में कुछ खामियां भी मौजूद है।

- एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का उपयोग अगर सही तरीके से किया जाता है तो वर्ष 2035 तक इससे देश की आर्थिक संवृद्धि में लगभग 3 प्रतिशत का योगदान हो सकता है। अतः नीति आयोग ने इस क्षेत्र में और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी भारत के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकती है, और सरकार को इस दिशा में और भी कदम उठाने की जरूरत है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के विकास में भारत के समक्ष चुनौतियाँ और समाधान :

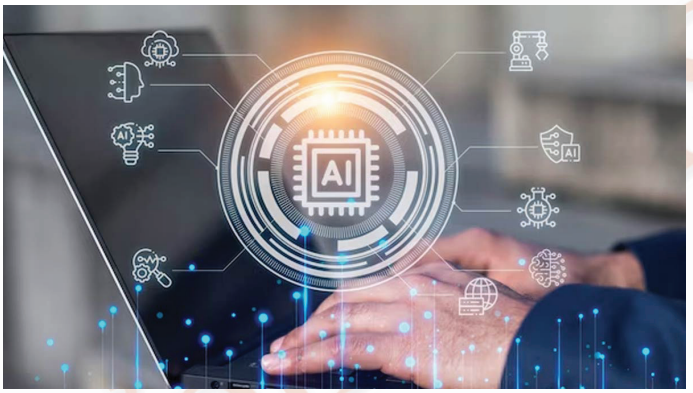

1. **जनसंख्या और शिक्षा :** भारत में बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी शिक्षा क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन इसे तकनीकी शिक्षा में और बेहतरीन तरीके से समाहित करने की आवश्यकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को शिक्षा में एक प्रमुख साधन के रूप में शामिल करना चाहिए ताकि छात्रों को इसमें रुचि और समझ बढ़े।
2. **निवेश और अनुसंधान:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अधिक निवेश और अनुसंधान की आवश्यकता है। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर इसमें निवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि नई तकनीकों का अध्ययन और विकास हो सके।
3. **सामाजिक और नैतिक मुद्दे :** भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के उपयोग में नैतिकता और सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन के साथ इस तकनीकी विकास को समर्थन करने और सुनिश्चित करने के लिए उच्च नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए।
4. **विदेशी निवेश :** भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी में विदेशी निवेश की आवश्यकता है। भारत को विदेशी कंपनियों को भी इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ताकि भारत के तकनीकी विकास की गति में वृद्धि हो।
5. **बेरोजगारी का समाधान :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के विकास से भारत में नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसे सरकार और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर बेरोजगारी को कम करने में मदद करना चाहिए।
6. **पर्यावरणीय प्रभाव :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का विकास करते समय पर्यावरणीय प्रभावों का ध्यान रखना चाहिए। इसे पर्यावरण के साथ संगत बनाने के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं के प्रभाव को न्यूनीकरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियाँ :

1. **डेटा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अधिक मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है, और यदि डेटा की कमी होती है, तो इसका प्रभाव तकनीकी प्रदर्शन को असर कर सकता है।

2. **ऊर्जा उपभोग में वृद्धि :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी पर आधारित उपकरण अधिक ऊर्जा उपभोग कर सकते हैं, जिससे विशेषकर उन्हें ठंडा करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

3. **पर्यावरणीय प्रभाव :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पन्न होने वाले रसायनिक अपशिष्ट और कार्बन फुटप्रिंट की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है।

4. **निजता का हनन की संभावना :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले बड़े डेटा संग्रहण के कारण व्यक्ति की निजता का खतरा बढ़ सकता है। जिसे व्यक्ति के निजता के हनन के रूप में भी देखा जा सकता है।

5. **साइबर हमले और धोखाधड़ी की संभावना :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के माध्यम से साइबर हमलों और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ सकती है, जिससे साइबर सुरक्षा में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

6. **आर्थिक असमानता में वृद्धि :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के प्रयोग से विकसित देश अधिक सक्षम हो रहे हैं, जबकि विकासशील और गरीब देश इसमें पिछड़ा होता जा रहा है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ सकती है।

7. **डेटा स्थानीयकरण का मुद्दा :** डेटा स्थानीयकरण के प्रयास भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए एक चुनौती हो सकती है, जिससे उन्हें अधिक लागत और उसके नियंत्रण में अधिक कठिनाई हो सकती है।

इन हानियों के बावजूद, यह महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का विवेचना करते समय नैतिकता, सुरक्षा और प्रशासनिक प्रणालियों को मजबूत किया जाए ताकि इसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए हो सके।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और योग्यता का संबंध :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से हो रहा है और इसने कई क्षेत्रों में अद्वितीय योग्यता की मांग को तीव्र गति से बढाया है। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, और नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकें योग्यता में वृद्धि करने में मदद कर रही हैं। इन तकनीकों के माध्यम से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी सिस्टम अपने आप सीख सकते हैं और अपनी को त्रुटियों की सुधार भी सकते हैं। इसके साथ – ही – साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी नई सूचना को स्वीकार कर सकते हैं, जिससे योग्यता में सुधार होता है।

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO): भारतीय सेना के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में DRDO ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसमें उनके द्वारा विकसित किए गए सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम, रोबोटिक्स, उच्च सुरक्षा उपकरण, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सुरक्षा तंत्रों की शामिल है।

- नीति आयोग की राष्ट्रीय रणनीति: नीति आयोग ने 2018 में 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित एक राष्ट्रीय रणनीति' की घोषणा की है, जिसमें वह भारतीय सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने की राहें बता रही है।

- अन्य संस्थाएँ: भारत में विभिन्न संस्थाएँ जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), और अन्य अनुसंधान संस्थाएँ भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी का अध्ययन और अनुसंधान कर रही हैं।

- उदारीकरण: नीति आयोग ने अपनी रणनीति में वैश्विक सहयोग और उदारीकरण को बढ़ावा देने का भी मुद्दा उठाया है। इससे भारत विश्व स्तर पर उन्नति करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है।

इन प्रयासों के माध्यम से, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में योग्यता को पुनः व्यवस्थित करने के उपाय :

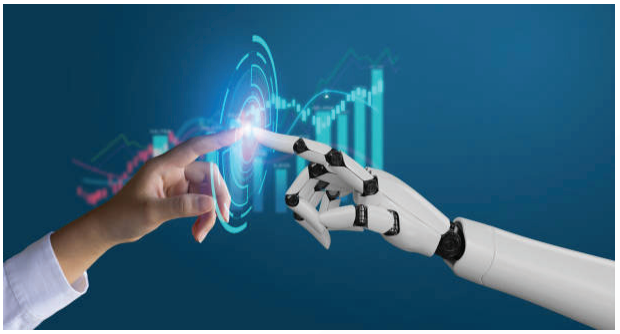

1. **शिक्षा में नई प्रणालियों का अनुसरण :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में, शिक्षा में नई प्रणालियों का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। इसमें विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने और उनकी योग्यता को विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है।

2. **मानव – मशीन साथी का विकास :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में योग्यता को व्यवस्थित करने के लिए मानव-मशीन साथी का विकास करना आवश्यक है। इससे कर्मचारियों को उनके क्षमताओं का सही रूप से उपयोग करने में मदद मिल सकती है और उनकी योग्यता में सुधार हो सकता है।

- **योग्यता आधारित अधिगम :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग योग्यता आधारित अधिगम के लिए किया जा सकता है। यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम और सीखने का प्रक्रियाएं योग्यता को मजबूती से बनाए रखती हैं।
- **स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्यता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह स्वास्थ्य और तंत्रिका नेटवर्कों के माध्यम से व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुझाव देने में मदद कर सकता है, जिससे लोगों को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है।
- **योग्यता के मानकों की स्थापना :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में, विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता के मानकों का स्थापना करना महत्वपूर्ण है। ये मानक निर्धारित करेंगे कि व्यक्तियों और संगठनों की योग्यता में सुधार का प्रमाण हो रहा है और योग्यता को मापने का एक स्थायी तरीका प्रदान करेंगे।
- **नैतिक और सुरक्षित उपयोग :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नैतिक और सुरक्षित तरीके से उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्यता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग सावधानीपूर्वक हो रहा है और इससे कोई सामाजिक या नैतिक समस्याएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में योग्यता को पुनः व्यवस्थित करना एक सामाजिक, आर्थिक, और तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। सही दिशा में और सही तरीके से इसका उपयोग करके हम एक उन्नत सामर्थ्यशाली, उत्कृष्ट और समृद्धिशील समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी में छिपी संभावनाएं चुनौतियों की तुलना में सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए, विश्व के सभी समुदायों को मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए और इसे वैश्विक भलाई और मानव कल्याण की दिशा में उपयोग करना चाहिए।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उदार मनोभाव और समर्पण की आवश्यकता है, ताकि इस प्रौद्योगिकी से आने वाली चुनौतियों को समाप्त किया जा सके और मानव समाज को इससे लाभ प्राप्त करने में सहायता मिल सके।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की प्रगति को देखते हुए, यह दिखता है कि देश ने इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है। भारत को अधिक से अधिक अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए, ताकि इस प्रौद्योगिकी के वास्तविक लाभ प्राप्त किए जा सकें।
- भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी से वास्तविक लाभ हासिल कर और इसका अधिक से अधिक उपयोग करके अपने सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकेगा, जिससे भारत की समृद्धि और उन्नति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में योग्यता को पुनः व्यवस्थित करने के उपाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में, शिक्षा में नई प्रणालियों का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है।
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में योग्यता को व्यवस्थित करने के लिए मानव-मशीन साथी का विकास करना आवश्यक है।
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्यता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के उपयोग को व्यक्ति के निजता के हनन के रूप में भी देखा जा सकता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A)केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) इनमें से कोई नहीं ।

(D) इनमें से सभी।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं ? भारत जैसे विकासशील देश के समक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के विकास में उत्पन्न चुनौतयों और उसके समाधान पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

भारत – ग्रीस द्विपक्षीय संबंध

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – पेपर -2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और ग्रीस रणनीतिक साझेदारी, अज्ञात सैनिक का मकबरा, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द्विपक्षीय समूह और समझौता, भारत और इसके हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौता।

ख़बरों में क्यों ?

- भारत – ग्रीस द्विपक्षीय संबंध के तहत दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के उद्देश्य से ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सो-टाकिस 21 फरवरी 2024 को भारत की दो दिवसीय (21- 22 फरवरी 2024) राजकीय यात्रा पर आएंगे।
- भारत में ग्रीस के किसी राष्ट्राध्यक्ष की 15 साल के अंतराल के बाद यह पहली भारत यात्रा है।
- भारत में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस राष्ट्रीय राजधानी के रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे।
- ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारी और एक उच्चस्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। एथेंस लौटने से पहले वह मुंबई भी जाएंगे ।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 अगस्त 2023 का ग्रीस दौरा पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीस की पहली यात्रा थी।
- इस अवसर पर ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपोलू ने भारत के प्रधानमंत्री को **"द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर"** से सम्मानित किया।
- भारत के प्रधानमंत्री ने एथेंस में **'गुमनाम सैनिक के मकबरे (Tomb of Unknown Soldier)'** पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी।
- भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले 2021 में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ग्रीस की यात्रा की थीं। उनके दौरे के बाद, मार्च 2022 में ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास ने भारत का दौरा किया था
- जून 2023 में 13वें द्विपक्षीय फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का आयोजन किया गया था, जिससे भारत – ग्रीक द्विप-क्षीय संबंध के तहत दोनों देशों के बीच का संबंध और अधिक मजबूत हुआ ।
- प्रधानमंत्री मोदी के ग्रीस दौरे ने भारत और ग्रीस के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के तहत सांस्कृतिक, आर्थिक, और राजनीतिक संबंधों को और भी मजबूत किया और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाओं का नया द्वार खोला।

- भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा भारतीय और ग्रीक के नागरिकों (लोगों) के बीच बेहतर समझदारी और भाईचारे की ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करने का उदाहरण पेश करता है।
- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के बीच द्विपक्षीय वार्ता भारत – ग्रीस के द्विपक्षीय संबंधों के तहत साझा सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता, सुरक्षा और रक्षा, नौवहन, समुद्री क्षेत्रों में सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रवासन, बुनियादी ढांचे, पर्यटन, कने-क्टिविटी, कृषि और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना है।

भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक साझेदारी :

भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं –

रक्षा एवं सुरक्षा :

- भारत और ग्रीस ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध, साइबर सुरक्षा, और रक्षा उद्योग में सहयोग करने का सहमति जताया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) के स्तर पर भारत-ग्रीस संवाद में निर्णय लिया गया है।

समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून :

- भारत और ग्रीस दोनों देशों ने समुद्री यात्रा में संलग्न प्राचीन और दीर्घकालिक समुद्री दृष्टिकोण रखने के साथ समुद्री कानून, विशेषकर समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के प्रावधानों का पालन करने पर सहमति व्यक्त की है।

संस्कृति और पर्यटन :

- भारत और ग्रीस दोनों देशों ने कला के सभी रूपों को बढ़ावा देने और प्राचीन स्थलों के संरक्षण के लिए सहयोग करने का प्रयास किया है। इसमें यूनेस्को के भीतर सहयोग भी शामिल है।

व्यापार और निवेश :

- भारत और ग्रीस ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और नए अवसरों की तलाश में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि नवीन ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और नवाचार के क्षेत्रों सहयोग करने का समझौता किया है

गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता (MMPA) :

- भारत और ग्रीस दोनों देशों के नेताओं ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता (MMPA) के साथ डिजिटल भुगतान, शिपिंग, फार्मास्यूटिकल्स, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में संवाद बढ़ाने का आदान-प्रदान किया है।
- इस साझेदारी के माध्यम से, भारत और ग्रीस ने विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी और सहयोग का मार्ग खोला है, जो दोनों देशों के बीच सशक्तिकरण और साझेदारी को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य :

'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' ग्रीस में 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिडीमर' के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार 1975 में स्थापित किया गया था और इसमें देवी एथेना का सिर अंकित है, साथ ही शिलालेख पर "केवल धर्मी/न्याय परायण लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए" लिखा हुआ है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ग्रीस के हितों और मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु राजनीति, कूटनीति, संस्कृति, विज्ञान, या सामाजिक सेवा के क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत और ग्रीस के ऐतिहासिक संबंधों की शुरुआत :

- ग्रीस और भारत के ऐतिहासिक संबंधों की शुरुआत 2500 वर्ष पूर्व हुई थी, जब सिकंदर महान ने भारतीय उप-महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग तक अपने अभियान को फैलाया। ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी में ग्रीक यात्री मेग-स्थनीज के द्वारा भारत और ग्रीस के बीच राजनयिक, व्यापारिक, और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में भारत और ग्रीस के बीच दूतवाचिता की उपलब्धि का वर्णन किया है।
- वर्तमान में, भारत और ग्रीस के बीच व्यापार बढ़ रहा है, और वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। भारत ग्रीस को एल्युमीनियम, कार्बनिक रसायन, मछली, और क्रस्टेशियंस (केकड़ा और झींगा) के अलावा भी उत्पाद भेजता है, जबकि ग्रीस भारत को खनिज ईंधन, खनिज तेल और एल्यु-मीनियम फॉइल आदि भेजता है।
- भारत ने ग्रीस की सबसे बड़ी वाणिज्यिक प्रदर्शनी, **84वें थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेला (Thessaloniki International Fair-TIF), 2019 में 'सम्मानित देश'** के रूप में भाग लिया। इसके अलावा, दोनों देश एक दूसरे के साथ शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, और आर्थिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।

भारत और ग्रीस के बीच सांस्कृतिक संबध :

- दिमित्रियोस गैलानोस, जो एक एक यूनानी इंडोलॉजिस्ट थे, ने भारत में 47 वर्ष व्यतीत किए और कई हिंदू ग्रंथों का ग्रीक में अनुवाद किया।
- भारत के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सितंबर 2000 में हेलेनिक अध्ययन के लिए एक "दिमित्रियोस गैलानोस" चेयर स्थापित की गई थी।
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ग्रीक छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। ग्रीक इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर निकोलस कज़ानास को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

भारत और ग्रीस के बीच राजनीतिक संबंध :

- भारत और ग्रीस के बीच आपसी राजनयिक संबंध मई 1950 में स्थापित हुआ था । ग्रीस ने 1950 में दिल्ली में अपना दूतावास खोला तथा भारत ने 1978 में एथेंस में अपना दूतावास खोला। ग्रीस ने कश्मीर और साइप्रस जैसे मुख्य राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर एक-दूसरे को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। ग्रीस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के विस्तार में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को भी समर्थन करता है।

भारत और ग्रीस के बीच रक्षा संबंध :

- सन 1998 में भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग में तेजी देखी गई, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग सहयोग आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना की गई है। भारतीय वायुसेना ने INIOCHOS-23 में भागीदारी की। यह अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 04 मई 2023 तक ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस पर आयोजित किया गया था। जिसमें भारतीय वायु सेना चार Su-30 MKI और दो C-17 विमानों के साथ भारतीय वायु सेना (IAF) हेलेनिक वायु सेना द्वारा आयोजित **एक बहु-राष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS-23** में भाग लिया।

ग्रीस के बारे में मुख्य तथ्यों में यह है कि यह दक्षिणी यूरोप में स्थित है, जिसकी सीमा अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया, और तुर्की से मिलती है। ग्रीस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है और इसे पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। इसकी राजधानी एथेंस है और भाषा ग्रीक है। ग्रीस में सबसे लंबी नदी हैलियाकमोन नदी है और ग्रीस का सबसे ऊँचा पर्वत माउंट ओलम्पस है। यह लोकतंत्र, दर्शन, रंगमंच, और ओलंपिक खेलों का जन्मस्थल है, जिसकी सरकार का स्वरुप संसदीय गणतंत्रात्मक है और जिसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ – पिंडस और टॉरस पर्वत है। इसकी मुद्रा यूरो है।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारत और ग्रीस के बीच आपस का द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और दार्शनिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों देशों के बीच का सांस्कृतिकों का मिश्रण, एक दूसरे के साथ संवाद, और एक – दूसरे के प्रति अन्यायित तथा अमूर्त विद्या का आदान-प्रदान हुआ है।
- ऐतिहासिक दृष्टि से, भारत और ग्रीस के बीच का संबंध मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और ग्रीक सम्राट एलेक्सेंडर के समय में शुरू हुए थे। एलेक्सेंडर ने भारतीय साम्राज्यों के साथ युद्ध किया और अपनी सेना के साथ भारत तक पहुँचा। भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराया और भारतीय उपमहाद्वीप का महान साम्राज्य बनाया। इस प्रकार, एलेक्सेंडर के समय के बाद भी भारत और ग्रीस के बीच संबंध बने रहे।

- सांस्कृतिक दृष्टि से, भारत और ग्रीस ने अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखा है। ग्रीक साहित्य, कला, और दार्शनिक विचारशैली ने भारत में पश्चिमी सांस्कृतिक विकास को प्रभावित किया, जबकि भारतीय साहित्य, शास्त्र, और कला ने अपने विशिष्ट पहचान को बनाए रखा है। यह विविधता और समृद्धि ही भारतीय और ग्रीक संस्कृतियों के बीच के संबंधों को मजबूत बनाती है।

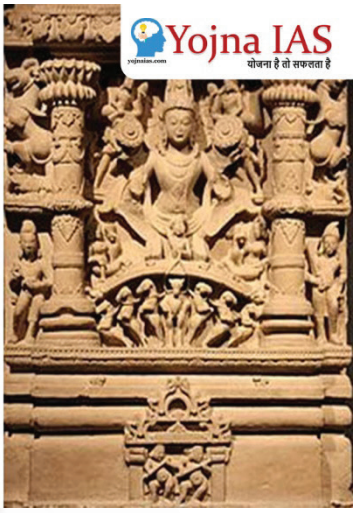

- दार्शनिक दृष्टि से , भारतीय और ग्रीक दार्शनिकों के बीच एक समान्तर धारा रही है, हालांकि उनके बीच वैचारिक स्तर पर अंतर रहा है। ग्रीक दार्शनिकों ने तार्किक और पुनर्जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि भारतीय दार्शनिकों ने आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान के प्रति अपनी प्राथमिकता को बनाए रखा है। इस प्रकार, ये दोनों सांस्कृतिक – परंपराएं एक दूसरे से सीखती रही हैं और एक दूसरे की समृद्धि में योगदान करती रही हैं।

- सामाजिक और भौतिकवादी दृष्टि से , भारत और ग्रीस के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ है। यूरोपीय यात्री और व्यापारी भारत आए और इस तरह भारतीय वस्त्र, गहने, और अन्य वस्तुएं यूरोप में पहुँची। इसके बाद ग्रीस का सांविदानिक संबंध भले ही भारत के साथ कम हो गया, लेकिन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों में एक निरंतरता बनी रही है।

- इस तरह, भारत और ग्रीस के बीच के संबंधों में एक समृद्धि विरासत और विविधता का स्रोत रहे हैं। इन संबंधों का अध्ययन और उनके प्रभाव का विस्तार से अन्वेषण, इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझ सकते हैं और एक-दूसरे से सीख सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत – ग्रीक द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. ग्रीस के किसी राष्ट्राध्यक्ष की 25 साल के अंतराल के बाद यह पहली भारत यात्रा है ।
2. भारत ने ग्रीक इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर निकोलस कज़ानास को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
3. ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।
4. ग्रीस ने 1950 में दिल्ली में अपना दूतावास खोला तथा भारत ने 1978 में एथेंस में अपना दूतावास खोला था।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) केवल 1, 2 और 4

(D) केवल 1 और 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वर्तमान भू – राजनैतिक संबंधों के संदर्भ में यह चर्चा कीजिए कि ग्रीस एशिया का प्रवेश द्वार तथा भारत यूरोप का प्रवेश द्वार किस प्रकार है ?

भाषण की स्वतंत्रता पर न्यायिक स्पष्टता

स्त्रोत- द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, वाक एवं अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, भारत में राजद्रोह, देशद्रोह की अवधारण, देश की शासन व्यवस्था का उतरदायित्व।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 31 जनवरी 2024 को कुणाल कामरा के केस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम पटेल द्वारा दिए गए एक न्यायिक निर्णय ने सोशल मीडिया पर स्वतंत्र भाषण के अधिकार को लेकर संवैधानिक बुनियादी सिद्धांतों को महत्वपूर्णता को लेकर बहस छेड़ दी है।
- बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय ने इस मामले में स्वतंत्र भाषण के अधिकारों को संवैधानिक दृष्टिकोण से मान्यता दी है।
- इसमें यह कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भाषण के महत्वपूर्ण अधिकारों की सुरक्षा एक सुरक्षा कवच के रूप में न्यायिक समीक्षा के तर्क को मान्यता देता है। उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों के अभिसरण और स्वतंत्र भाषण के

महत्वपूर्ण अधिकारों के प्रति राष्ट्र की संवेदनाओं की प्रतिनिधित्व किया है।

- यह निर्णय बहुसंख्यक सभाओं और अदम्य शक्ति की ज्यादतियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में न्यायिक समीक्षा के तर्क को मान्य करता है।
- बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम पटेल द्वारा दिए गए इस न्यायिक निर्णय आईटी नियम 2021 के संशोधित नियम 3(1)(B)(v) के आधार पर किया गया है, जिसमें एक व्यापक रूप से मनमाना और अन्यायपूर्ण माना जाने वाला विधान शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायिक निर्णय में स्वतंत्र भाषण के महत्वपूर्ण अधिकारों की रक्षा के प्रति न्यायिक समीक्षा के द्वारा किए जा रहे तर्क को मान्यता दी गई है।
- इस निर्णय में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 19(2), (6) में प्रावधानित प्रतिबंधों के अलावा स्वतंत्रता की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और संविधान के खिलाफ राज्य के अतिक्रमण के खिलाफ स्पष्ट रक्षा की जानी चाहिए। यह निर्णय स्वतंत्र भाषण के महत्वपूर्ण अधिकारों की प्रमुखता को पुनरावृत्ति करता है और इसे संवैधानिक दृष्टिकोण से सुरक्षित करने का प्रयास करता है।
- न्यायाधीश ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्याख्यित करते हुए, अनुच्छेद 19(2) और (6) के अनुसार उचित प्रतिबंधों को छोड़कर स्वतंत्रता की पूर्ण रक्षा की आवश्यकता को आवश्यक बताया है। इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य द्वारा व्यक्ति की इस स्वतंत्रता से छीनने का कोई कारगर और धाराप्रवाह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
- इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायाधीश ने सोशल मीडिया पर भाषण के साथ छेड़छाड़ या प्रतिबंध की अनुमति देने का समर्थन किया है, जब तक कि इसमें आपत्तिजनक और अनैतिक सामग्री शामिल नहीं है। इसमें विधिवत और न्यायिक दृष्टिकोण से सोशल मीडिया पर भाषण की स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण रक्षा हो रही है।

भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक स्पष्टता :

नागरिक के आलोचना करने का अधिकार :

- भारत में प्रत्येक भारतीय को सरकार की और सरकार की तत्कालीन असंवैधानिक नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, और इसे राजद्रोह के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यह नागरिकों को अपने मत और विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का मौका देता है। यह अधिकार ही लोकतंत्र की मौलिक भूमि है और यह भारत में सामाजिक बदलाव के लिए भी आवश्यक है।

भारत में राजद्रोह की परिभाषा :

- प्रत्येक भारतीय को नागरिक के रूप में सरकार की और सरकार की तत्कालीन नीतियों का आलोचना करने का अधिकार है और इस प्रकार की आलोचना को राजद्रोह के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आलोचना को राजद्रोह के रूप में परिभाषित करने की स्थिति में भारत का लोकतंत्र एक पुलिस राज्य के रूप में बदल जाएगा।

देशद्रोह (SEDITION) :

- भारत में भारतीय संविधान द्वारा देशद्रोह और देशद्रोह से संबंधित कानूनों को स्पष्टता से परिभाषित करना आवश्यक है, ताकि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा इसका दुरुपयोग नहीं हो और भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत मूल अधिकारों की रक्षा हो सके।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (A) में देश की एकता और अखंडता को व्यापक हानि पहुँचाने के प्रयास को देशद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया है। देशद्रोह के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं –

1. **सरकार विरोधी गतिविधि और उसका समर्थन।**
2. **देश के संविधान को नीचा दिखाने का प्रयास।**
3. **कोई ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लिखित या मौखिक कृत्य जिससे सामाजिक स्तर पर देश की व्यवस्था के प्रति असंतोष उत्पन्न हो।**

वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (FREEDOM OF SPEECH AND EXPRESSION) :

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom Of Expression) भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदात किया गया है।
- भारत में अभियक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन भी लागू होता हैं। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है।
- भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस/ पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन ही है, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।
- इसका उपयोग देश की एकता और सामरिक समृद्धि के हित का विकास करने में होना चाहिए

देश या समाज में नवाचार और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना :

- भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय समाज में नवाचार और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इनसे ही समाज का विकास होता है।
- समाज की प्रगति का आधार उस समाज में उपस्थिति नवाचार की प्रवृत्ति होती है। समाज में नवाचार और जिज्ञासा में ह्रास इसकी जड़ता को प्रतिबिंबित करता है। जिज्ञासा के अभाव में समाज का विकास रुक जाता है और वह तात्कालिक अन्य समाजों से पीछे रह जाता है।

असंतोष का अधिकार :

- किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश या राज्य में उनके नागरिकों को प्रदत असंतोष का अधिकार एक स्वस्थ और परिपक्व लोकतंत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है, इससे भारतीय समाज में अनेकानेक सुधार हो सकता है।
- संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए अधिकार जैसे- विचार की स्वतंत्रता का अधिकार (The Right Of Freedom Of Opinion), अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार (Freedom Of Conscience) और असंतोष का अधिकार (Right To Dissent) को स्वस्थ्य और परिपक्व लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्थाओं के बाद ही लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता बढ़ेगी।
- बदलते समय के साथ न चलने की स्थिति एक दिन भयावह रूप ले लेती है और इस प्रकार का असंतोष विध्वंसक होता है जिससे समाज को व्यापक और दीर्घकालिक हानि उठानी पड़ती है।

अधिकारों का प्रवर्तन :

- भारतीय संविधान में स्पष्टता से नहीं भी लिखे गए अधिकारों को भी स्थान मिलना चाहिए, जैसे- विचार की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और असंतोष का अधिकार।

समयानुकूल सामाजिक नियमों में परिवर्तन :

- भारतीय समाज में प्रगति के लिए तय किए गए नियमों में बदलते समय के साथ परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि भारतीय समाज नए विचारों का स्वीकृति कर सके और भारत की शासन व्यवस्था और अधिक परिपक्व और लोकतांत्रिक बन सके।
- प्रत्येक समाज के कुछ स्थापित नियम होते हैं। समय के साथ इन नियमों में परिवर्तन आवश्यक है। अगर समाज इन नियमों की जड़ता में बंधा रहता है तो इससे समाज का विकास रुक जाता है।
- समाज में नए विचारों का जन्म तात्कालिक समाज के स्वीकृत मानदंडों से असहमति के आधार पर ही होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति पुराने नियमों और विचारों का ही अनुसरण करेगा तो समाज में नवाचारों का अभाव उत्पन्न हो जाएगा, उदाहरण के लिये नये विचारों और धार्मिक प्रथाओं का विकास तभी हुआ है जब पुरानी प्रथाओं से असहमति व्यक्त की गई।

सामाजिक असंतोष :

- भारत में सामाजिक असंतोष को समाधान के रूप में देखना चाहिए और राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोगों के विचारों को समर्थित करना चाहिए।
- भारत के बड़े क्षेत्रों में फैले सामाजिक असंतोष कहीं न कहीं इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में उनके विचारों के प्रतिभाग का अभाव है। भारत जैसे सामासिक संस्कृति वाले देश में सभी नागरिकों जैसे आस्तिक, नास्तिक और आध्यात्मिक को अभिव्यक्ति का अधिकार है। इनके विचारों को सुनना लोकतंत्र का परम कर्तव्य है, इनके विचारों में से समाज के लिए अप्रासंगिक विचारों को निकाल देना देश की शासन व्यवस्था का उतरदायित्व है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :

- भारतीय समाज में सभी वर्गों, धर्मों, और विचारधाराओं को समाहित करना चाहिए, ताकि सभी नागरिक अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकें और समृद्धि में सहभागी बन सकें।
- भारत में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और इनके विचारों को सुनना और समर्थित करना भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक परिपक्व करना, सभी के लिए समावेशिक बनाना और समानता-मूलक बनाना ही है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक समृद्धि और स्वतंत्र दृष्टिकोण का सूत्र है जो किसी समाज में न्यायिक स्पष्टता के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि लोगों को उनके विचारों, भावनाओं, और अभिव्यक्तियों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार है और समाज में न्यायिक संरचना इस स्वतंत्रता को सहारा देने के लिए होनी चाहिए।

- भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण उपधाराएं हैं। धारा 19(1)(a) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि **"प्रत्येक नागरिक को उसके विचार को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार है"** यह एक महत्वपूर्ण मानदंड है जो सुनिश्चित करता है कि समृद्धि और न्याय की बुनियाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है।

- न्यायिक स्पष्टता भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बिना किसी आपत्ति या आपत्तियों के साथ बना रहता है। न्यायिक स्पष्टता एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जिसमें अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता से योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसे स्वतंत्रता से बिना किसी भय या प्रतिबंध के व्यक्त किया जा सकता है।

- समाज में न्यायिक स्पष्टता का होना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। न्यायिक संरचना को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उसके विचारों और अभिव्यक्तियों को स्वतंत्रता से बयान करने का अधिकार है, यदि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और सामाजिक सुरक्षा या न्याय की प्रक्रिया को ठेस पहुंचाने की कोई कोई भी संभावना नहीं है।

- न्यायिक स्पष्टता एक सुरक्षित देश /राज्य या सुरक्षित समाज की नींव होती है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सही दिशा में प्रतिबद्ध करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रतिबंध या आपत्ति के बिना लोग अपने विचारों और विचारों को साझा कर सकते हैं और समृद्धि की दिशा में बढ़ सकते हैं।

- सामाजिक समृद्धि और न्यायिक स्पष्टता का साथ देने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सुरक्षा बनी रहती है और लोग साहसपूर्वक अपने विचारों को रख सकते हैं, जिससे समृद्धि और समरसता का आदान-प्रदान होता है। इस प्रकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायिक स्पष्टता समृद्धि और न्याय के साथ एक सुशिक्षित और सजीव समाज की रचना करती है।

इन प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से, भारतीय समाज को सुधारने, उसे लोकतांत्रिक और विकसित करने के लिए सशक्त और संरचित कदम उठाना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में भाषण की स्वतंत्रता पर न्यायिक स्पष्टता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (A) में देश की एकता और अखंडता को व्यापक हानि पहुँचाने के प्रयास को देशद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. भारत में अभियक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है क्योंकि इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन भी लागू होता है।
3. भारत में सरकार की आलोचना को राजद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत का लोकतंत्र एक पुलिस राज्य के रूप में बदल जाएगा।
4. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायिक स्पष्टता समृद्धि और न्याय के साथ एक अशिक्षित और निर्जीव समाज की रचना करती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 1 और 2

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में देशद्रोह/ राजद्रोह के मुख्य प्रावधानों को रेखांकित करते हुए, यह चर्चा करें कि भारत में भाषण की स्वतंत्रता पर न्यायिक स्पष्टता के संदर्भ में स्वतंत्र भारत में देशद्रोह की वर्तमान प्रासंगिकता कैसे है ?

भेदभाव का अंत बनाम भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन व्यवस्था , सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की श्रम संबंधी भागीदारी, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल में महिलाओं की स्थायी कमीशन, श्रमशक्ति आवधिक आँकड़ा (अक्टूबर-दिसंबर 2023)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने " भारत संघ एवं अन्य बनाम पूर्व लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन" मामले में पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले और पुरातन विचार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए निर्णय दिया है कि महिला कर्मचारियों को शादी करने पर दंडित करने वाले नियम असंवैधानिक हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए टिप्पणी की कि – **"महिला की शादी हो जाने की वजह से रोजगार खत्म कर देना करना भेदभाव और असमानता का एक गंभीर मामला है। ऐसे पितृसत्तात्मक नियमों को स्वीकार करना मानवीय गरिमा और भेदभाव-रहित एवं राज्य के निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार को कमजोर करता है।"**
- उच्चतम न्यायालय ने भारतीय सेना के सैन्य नर्सिंग सेवा की पूर्व लेफ्टिनेंट एवं स्थायी आयुक्त अधिकारी सेलिना जॉन के अधिकारों को बरकरार रखा है। सेलिना को 1988 में शादी करने की वजह से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को सुश्री जॉन को आठ हफ्ते के भीतर मुआवजे के रूप में 60 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
- सरकार ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की लखनऊ पीठ के एक फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी।
- न्यायाधिकरण की पीठ ने 2016 में सेलिना के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस बात को इंगित करते हुए कि उनकी बर्खास्तगी "गलत और अवैध" थी, अदालत ने कहा कि शादी के खिलाफ नियम सिर्फ महिला नर्सिंग अधिकारियों पर लागू था।
- भारत में महिलाएं सेना में लैंगिक समानता के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ती रही हैं।
- भारत में महिलाओं को भारतीय सेना और सशस्त्र बल में 2020 और 2021 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसलों के बाद महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया था
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि – **" भारत में सशस्त्र बल को इस कथन को करनी में तब्दील करके पुष्ट करना होगा कि भारतीय सेना ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।"**
- भारत में महिलाओं के लिए असैनिक क्षेत्र में भी हालात बहुत बेहतर नहीं हैं और नौकरी के लिए साक्षात्कार देने के दौरान महिलाओं से अक्सर असहज कर देने वाले व्यक्तिगत सवाल पूछे जाते हैं। उनसे शादी और मातृत्व से जुड़ी भावी योजनाओं के बारे में भी पूछताछ की जाती है।
- श्रमशक्ति में महिलाओं की श्रम संबंधी भागीदारी– श्रमशक्ति के ताजा आवधिक आंकड़ों (अक्टूबर-दिसंबर 2023) के अनुसार, भारत में सभी उम्र की महिलाओं की भागीदारी महज 19.9 फीसदी ही है।
- भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर गरीब तबकों की, लड़कियों, को आर्थिक से लेकर उपयुक्त शौचालयों की कमी जैसी विभिन्न वजहों से स्कूल छोड़ना पड़ता है।
- संयुक्त राष्ट्र के जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट 2023 लैंगिक समानता के संदर्भ में बताता है कि लैंगिक समानता की दृष्टिकोण से अगर सुधार के उपाय नहीं किए गए, तो महिलाओं की अगली पीढियां भी पुरुषों के मुकाबले घरेलू कामों और कर्तव्यों पर अनुपात से ज्यादा समय खर्च करती रहेंगी और नेतृत्वकारी भूमिकाओं से दूर रहेंगी।
- **सामान्य लैंगिक अंतर(Overall Gender Gap) :** जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 के अनुसार – लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है।

लैंगिक समानता का अर्थ :

- लैंगिक समानता का अर्थ है कि महिलाएँ और पुरुषों को या बालक और बालिकाओं को समान अधिकार, जिम्मे-

दारियाँ और सामान अवसर प्राप्त हों। यह सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा भर ही नहीं है, बल्कि यह एक मानवाधिकार भी है जो सभी व्यक्तियों को समानता के माध्यम से समृद्धि और सम्मान की भावना के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है।

- संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) के अनुसार – लैंगिक समानता का मतलब यह नहीं है कि महिलाएँ और पुरुष समान हों, बल्कि इसका मतलब है कि उन्हें समान अधिकार, स्वतंत्रता, और अवसर मिले जो उनकी क्षमताओं और चयन के आधार पर होना चाहिए। इसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव, स्त्रियों के विरुद्ध होने वाली हिंसा, और अन्य लैंगिक समस्याओं के खिलाफ सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और समाज में समानता की भावना को स्थापित करना है।
- इसमें यह भी शामिल है कि लैंगिक समानता का पूरा होना एक सुशिक्षित और सुशासनयुक्त समाज के लिए आवश्यक है, जहां सभी व्यक्तियों को उनकी इच्छा और क्षमता के आधार पर समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। इससे समाज में सामंजस्य और समृद्धि होती है जो समृद्धि और प्रगति की दिशा में सहायक होती है। लैंगिक समानता न केवल एक आदर्श बल्कि एक समृद्धि और समृद्धिवादी समाज की आधारशिला भी है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ :

- महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त बनाना है। इस प्रक्रिया का मकसद महिलाओं को उनके जीवन में सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करना है।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख घटक :

महिला सशक्तिकरण के मुख्य पाँच घटक निम्नलिखित हैं –

1. **आत्म-सम्मान :** महिलाओं में आत्म-सम्मान की भावना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे वे अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानती हैं और समाज में समानता का अधिकार को जानकर , अपने अधिकारों के प्रति सजग रहती हैं।
2. **विकल्प चुनने और निर्णय लेने का अधिकार :** महिलाओं को अपने जीवन में स्वतंत्रता से विकल्प चुनने और निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह घर में हों या घर के बाहर के कार्यस्थल ही क्यों न हो, महिलाओं को अपने जीवन में हर जगह और हर स्थिति में स्वतंत्रता से विकल्प चुनने और निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।
3. **अवसर और संसाधनों तक पहुँच :** महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, और अन्य संसाधनों तक पहुँच होनी चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं को सही तरीके से विकसित कर सकें।
4. **महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण का अधिकार :** महिलाओं को अपने जीवन के निर्णयों में सकारात्मक रूप से शामिल होना चाहिए, चाहे वह घर के अंदर हों या घर के बाहर महिलाओं को अपने जीवन में हर जगह

और हर स्थिति में स्वतंत्रता से अपने जीवन पर नियंत्रण का अधिकार होना चाहिए।।

5. **राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक परिवर्तन में भाग लेने की क्षमता :** महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में न्यायपूर्ण परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाने और उनमें भाग लेने की क्षमता प्रदान होमी चाहिए।

महिला सशक्तिकरण के तीन मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं –

1. **सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तिकरण :** महिलाओं को अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने और सामाजिक बदलाव में भाग लेने की क्षमता प्रदान करना महिला सशक्तिकरण का प्रमुख आयाम है।

2. **आर्थिक सशक्तिकरण :** महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और उन्हें आर्थिक विकास में सक्रिय भाग लेने की क्षमता प्रदान करना महिला सशक्तिकरण का प्रमुख आयाम है।

3. **राजनीतिक सशक्तिकरण :** महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, नीतियों में सहभागिता बढ़ाने, और प्रतिनिधित्व में उनकी बढ़ती हुई भूमिका को समझाना भी महिला सशक्तिकरण का प्रमुख आयाम है।

यह सभी आयाम साथ मिलकर महिलाओं को समर्थ, स्वतंत्र, और इंसानी रूप में समान बनाने की प्रक्रिया को संकेत करते हैं।

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध :

- महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के बीच संबंध गहरे और पारस्परिक संबंध हैं और इन दोनों के पर-स्पर संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए, महिलाओं को समाज में समान अधिकार, अवसर, और सामान स्थिति मिलना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह भी है कि महिलाएं अपने जीवन में नियंत्रण रखें, अपनी राय व्यक्त करें, और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थ हों।

- भारतीय समाज में, प्राचीन-मध्यकाल से ही महिलाओं को देवियों की पूजा का सौभाग्य मिलता रहा है, लेकिन समय के साथ महिलाओं को समाज में उच्च स्थान पर पहुँचने में कई रुकावटें आईं। इसके बावजूद, भारतीय इतिहास में कई शक्तिशाली महिला नेताएं और राजनेत्रियाँ भी उभरीं हैं, जो न केवल अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दी हैं बल्कि समाज को भी बदलने का कारण बनीं हैं।

- भारत में, प्राचीन-मध्यकाल से लेकर स्वतंत्रता-पूर्व काल तक, महिलाओं को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक उपाधियों के माध्यम से पूजा गया है, लेकिन समाज में उन्हें पूर्णत: समानता नहीं मिली। स्त्री हितैषी आंदोलन, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम जैसे कई सुधारों के माध्यम से समाज में बदलाव आया।

- सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन (19वीं शताब्दी) ने भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए। सती प्रथा के खिलाफ धार्मिक सुधार, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और बाल विवाह निरोधक अधिनियम जैसे कानूनों के प्रदर्शन से सामाजिक बदलाव हुआ और महिलाओं को अधिक अधिकार मिले।

- स्वतंत्रता-पूर्व भारत में, सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने महिला सशक्तिकरण के मामले में सकारात्मक परिवर्तन किए। साथ ही, महिला संगठनें भी लैंगिक समानता की मुद्दे पर अपनी आवाज उठाईं और समाज में जागरूकता फैलाई।

- स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, महात्मा गांधी ने महिलाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए अग्रणी भूमिका दी। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपने अधिकारों की मांग करने के लिए साहसिक बनाया। गांधीजी के नेतृत्व में हुए स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाएं अपने योगदान से सजग रहीं और उन्हें समाज में बड़ा हिस्सा बनने का मौका मिला।

- स्वतंत्रता के बाद, भारतीय महिला परिषद, भारतीय महिला संघ, और अन्य महिला संगठनें भारत में लैंगिक

समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संघर्ष कर रहीं हैं। इन संगठनों ने महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया है।

- इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का संघर्ष एक साथ चल रहा है और यह समाज में समानता और न्याय की दिशा में प्रगति कर रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए समाज को सकारात्मक रूप से सहयोग करना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।
- वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के प्रति समर्थन तेजी से बढ़ रहा है और समाज में सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और सामाजिक सद्भावना में सुधार के माध्यम से हम सभी को मिलकर इस मार्ग पर आगे बढ़ने का समर्थन करना आवश्यक है।

स्वतंत्रता-पश्चात भारत में शांति काल में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। यह मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुआ था –

स्वतंत्रता के बाद अधिकांश महिला कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण कार्यों में शामिल हो गईं: स्वतंत्रता के बाद, अनेक महिलाएं सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय हो गईं और राजनीति, शिक्षा, और अन्य क्षेत्रों में भूमिका निभाने लगीं।

भारत के विभाजन के आघात ने महिलाओं के तत्कालीन मुद्दों से ध्यान हटा दिया: भारत के पारंपरिक समाज में विभाजन के कारण, महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया था। स्वतंत्रता के बाद, यह स्थिति बदली और महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा होने लगी।

1970 दशक के पश्चात् भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता आंदोलन का नवीनीकरण हुआ।

भारतीय महिला आंदोलन के दूसरे चरण के रूप में प्रसिद्ध, प्रमुख महिला संगठनों ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत हुई। जैसे –

स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) : इस संगठन ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कार्य किया और उन्हें स्व-रोज़गार के लिए समर्थन प्रदान किया।

अन्नपूर्णा महिला मंडल (AMM) : इस संगठन ने महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए कार्य किया और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य क्षेत्रों में समर्थन प्रदान किया।

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां :

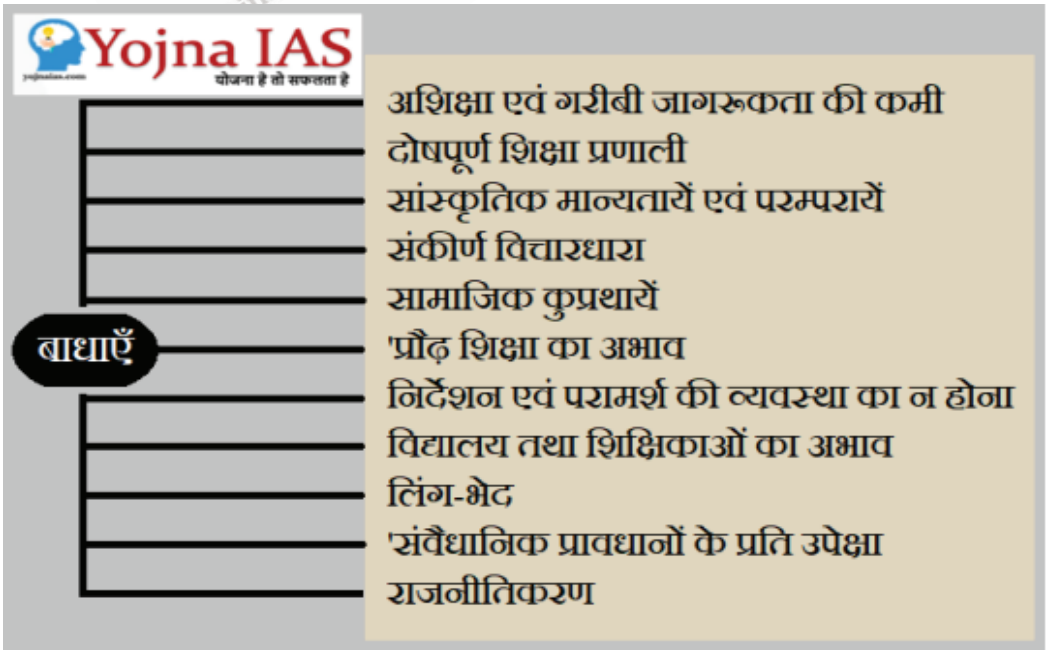

- हाल ही में, सरकार ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शरूआत की हैं। हालांकि कुछ सुधार हुआ है, लेकिन भारत में महिलाओं को समान अवसर मिलने में अभी भी कई चुनौतियां हैं और उनके साथ भेदभाव जारी है।
- सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अनेक नए पहलों की शुरुआत की हैं, जैसे कि उद्यमिता समर्थन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और समाज में प्रतिष्ठा दिलाना।
- इन प्रयासों का उद्देश्य है महिलाओं को समाज में समानता, स्वतंत्रता, और अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना। हालांकि यह समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सकारात्मक प्रयास और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति एक जटिल मिश्रण है जिसमें समृद्धि और चुनौतियां दोनों शामिल हैं। यहां कुछ मुख्य पहलुओं को देखा जा सकता है:

1. **लैंगिक असमानता :** भारत में पुरानी सांस्कृतिक धाराओं और जाति व्यवस्था के कारण, लैंगिक असमानता की समस्याएं आज भी मौजूद हैं। लिंगानुपात , मातृ मृत्यु दर, और शिक्षा में असमानता इसके प्रमुख प्रमाण हैं।
2. **सामाजिक-सांस्कृतिक असमानता :** भारतीय समाज की समाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के फलस्वरूप महिलाएं अक्सर विभिन्न अवसरों से वंचित रहती हैं। बाल विवाह और असमान पुरुषाधिकार भी इसके उदाहरण हैं।
3. **आर्थिक विषमता :** महिलाओं का वेतन अंतर, अनौपचारिक रोजगार, और उच्चतम पदों में कम प्रतिनिधित्व इसे बढ़ाते हैं।
4. **राजनीतिक असमानता :** सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। संसद और राज्य विधानसभाएं में महिला सदस्यों की कमी इसे चुनौती देती है।
5. **लैंगिक आधारित हिंसा :** महिलाओं के खिलाफ लैंगिक आधारित हिंसा की सामान्यता इसे एक गंभीर समस्या बनाती है।
6. **शिक्षा :** किसी भी समाज की उन्नति और एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे अच्छा और महत्पूर्ण उपाय शिक्षा है, लेकिन इसमें भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को अभी तक समानता का अवसर नहीं मिल पाया है। इन समस्याओं का सामना करते हुए, समाज में साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार, और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए समर्थ बनाने के लिए नीतियों और कदमों की जरूरत है। लोगों को लैंगिक समानता और आपसी समरसता की प्रोत्साहना करनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा सके।

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का महत्त्व :

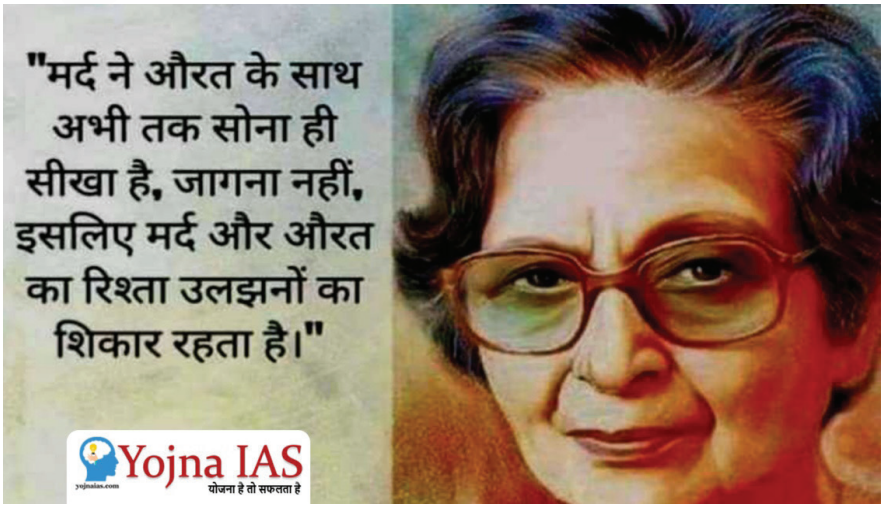

- महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को प्राप्त करना एक समृद्धि और समानतामूलक समाज बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका समग्र महत्त्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक परिवर्तनों में है।

सामाजिक न्याय :

- लैंगिक समानता को स्वीकृति देने से समाज में न्याय की भावना बढ़ती है। महिला सशक्तिकरण से उन्हें समाज में उचित स्थिति मिलती है और समाजिक असमानता को कम करने में मदद मिलती है।

राष्ट्र की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना :

- महिलाओं का सकारात्मक योगदान राष्ट्र की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम समाज के सभी सदस्यों को समाहित बनाना चाहते हैं, तो महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है।

सामाजिक – सांस्कृतिक महत्व :

- लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण एक शांतिपूर्ण और समतामूलक समाज निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इससे महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में कमी आती है और समाज में समरसता बनी रहती है।

आर्थिक महत्त्व :

- महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देने से आर्थिक समृद्धि में भी सुधार होता है। वे सक्षम होती हैं और अपने परिवार और समाज के लिए योगदान करती हैं, जिससे राष्ट्र को भी लाभ होता है।

राजनीतिक महत्त्व :

- महिलाओं का समर्थन करना और उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में बढ़ावा देना राजनीतिक प्रक्रिया में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। महिला सांसदों और महिता नेत्रियों के माध्यम से समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण होता है।
- लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण समृद्धि, सामरस्य, और अन्याय के खिलाफ एक सशक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हैं।इस प्रकार, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्त्व है, जो समृद्धि, सामंजस्य, और समाज में न्याय की स्थापना में मदद करता है।

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रावधान हैं। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है –

1. **मूल अधिकार (Article 14) :** सभी नागरिकों को सामान्य विधि के तहत समानता और संरक्षण का अधिकार है, जिसमें महिलाओं को भी समाहित किया गया है।
2. **मूल अधिकार (Article 15) :** इस अधिकार के तहत महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध है, जिससे लैंगिक भेदभाव को रोका जाता है।
3. **मूल अधिकार (Article 16) :** इस अधिकार के तहत भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रोजगार और नौकरी में समानता का अधिकार है, जिससे महिलाओं को भी समाहित किया गया है।
4. **मूल अधिकार (Article 21) :** इस अधिकार के तहत भारत के प्रत्यक नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार में, महिलाओं को शालीनता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।
5. **राज्य नीति के निदेशक तत्त्व (Article 39) :** राज्य नीति के निदेशक तत्त्व के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, जिससे महिलाओं को भी समाहित किया जाता है।

6. **राज्य नीति के निदेशक तत्त्व (Article 42) :** इसके तहत भारत के नागरिक के रूप में महिलाओं को कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों के लिए मातृत्व राहत और अवकाश का प्रावधान है, जिससे महिलाओं को समाहित किया गया है।

7. **राज्य नीति के निदेशक तत्त्व (Article 44) :** इसके तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, जिससे विवाह, तलाक, विरासत आदि में महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं।

8. **राज्य नीति के निदेशक तत्त्व (Article 45) :** भारत के संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 45 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है, जिससे बालिकाओं को भी समाहित किया गया है।

9. **मौलिक कर्तव्य (Article 51A) :** भारत के नागरिकों को प्रदत मौलिक अधिकार के तहत हर नागरिक को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का मौलिक कर्तव्य है।

10. **मौलिक कर्तव्य (Article 51A) :** इसके तहत भारत के प्रत्येक माता-पिता/अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य है।

11. **नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) 2023 :** महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षित सीटों का प्रावधान शामिल है।

इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान ने महिला सशक्तिकरण और समानता की प्रोत्साहन प्रदान की है , जिससे भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया गया है।

भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रावधान :

भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं, जो समाज में महिलाओं को सुरक्षित रखने और भारत के नागरिक होने के तौर पर उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं –

महिलाओं का सामाजिक – सांस्कृतिक सशक्तिकरण :

भारतीय दंड संहिता (IPC) : इसमें महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या, और एसिड हमले सहित अपराधों का संज्ञान लेता है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की सुनिश्चित करता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 : इस अधिनियम से घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा आदेश और निवास अधिकार प्राप्त होता है, जिससे उन्हें सुरक्षित रहने में मदद मिलती है।

दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961 : इसके तहत दहेज लेने और देने को प्रतिबंधित किया गया है और इसके उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान है।

सती (निवारण) आयोग अधिनियम, 1987 : इसके अंतर्गत सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जिससे यह प्रथा निषेधित है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 : इससे बाल विवाह को रोकने के लिए बालिकाओं के लिए न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष कर दी गई है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण :

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 : इस अधिनियम से सभी श्रमिकों, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 : इससे कार्यस्थल में लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है, क्योंकि यह लिंग के आधार पर मजदूरी और वेतन में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 : इस अधिनियम से कार्यरत महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अन्य लाभ प्रदान किया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 : इससे कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न को रोकने और निवारण के लिए एक प्रणाली बनाई गई है जो महिलाओं को सुरक्षित और समर्थन मिलने में मदद करती है।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 : इससे महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया है।

परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 : इससे निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करते समय महिला मतदाताओं की संख्या का विचार करने का आदेश दिया गया है, जिससे महिलाओं की चुनावी क्षमता में वृद्धि होती है।

भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए सरकारी योजनाएँ :

भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में कई योजनाओं की शुरूआत की है , जो महिलाओं को समाज में सक्रिय और स्वतंत्र बनाने का उद्देश्य रखती हैं। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है।

1. **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति :** इस नीति का उद्देश्य महिलाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्थिति को मजबूती से बनाए रखना शामिल है।
2. **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (NMEW) :** यह मिशन महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन प्रदान करता है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य।
3. **लैंगिक बजट :** यह बजट महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाता है, जिससे समाज में इन्हें बराबरी मिले।
4. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP) :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की जनसंख्या में सुधार करना और उन्हें शिक्षित बनाना है।

5. **प्रधानमंत्री स्वस्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) :** इस योजना से महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं, जो उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करती हैं।

6. **स्टैंड अप इंडिया योजना :** इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को ऋण प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

7. **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) :** इस योजना के माध्यम से महिलाओं को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करती है।

8. **महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को राजनीतिक भूमिका में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे समाज में अधिक से अधिक भूमिका निभा सकें।

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार भारतीय महिलाओं को समाज में सशक्तिकरण के लिए एक साकारात्मक माहौल प्रदान करने का प्रयास कर रही है। ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को साथ लेकर समृद्धि और समानता की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए चुनौतियाँ :

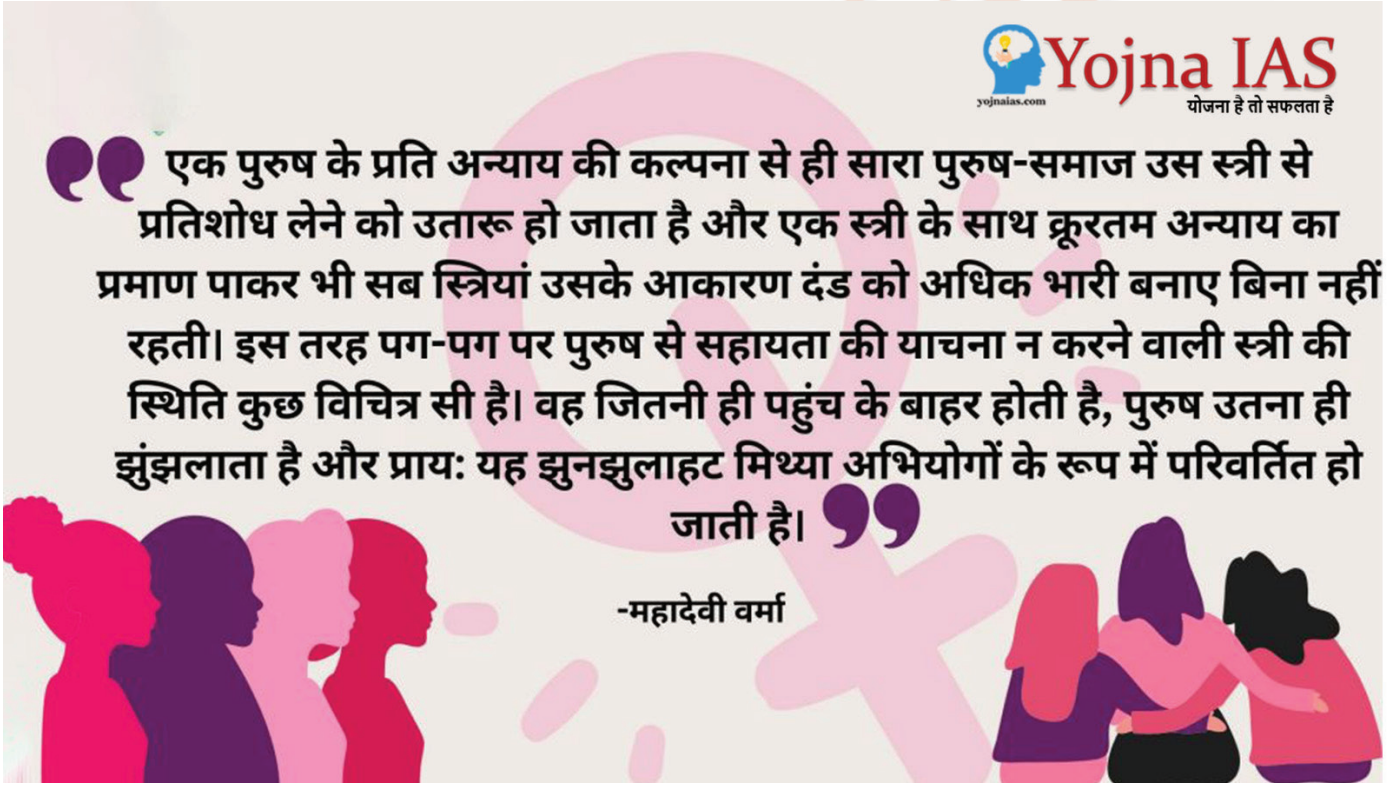

भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तमाम सरकारी प्रयासों के भी बावजूद, कई चुनौतियाँ हैं जो इस प्रयास में रुकावटें डालती हैं।

महिलाओं के समक्ष विद्यमान सामाजिक चुनौतियाँ :

1. **भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंड:** ऐतिहासिक कारणों से भारत में लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक मानदंडों में भेदभाव है, जिससे महिलाएं समाज में बराबरी के अधिकारों की ओर बढ़ती हैं।

2. **महिलाओं की भूमिका का रूढ़ीवादी चित्रण :** भारतीय समाज में रूढ़ीवादी सोच ने महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों में ही रूचिकर बनाया है, जिससे उन्हें बाहरी क्षेत्रों में आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है।

3. **महिलाओं का कम साक्षरता दर :** भारत के कई राज्यों और कई क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर अभी भी बहुत ही कम है, जिसका सीधा असर उनके समाजिक और आर्थिक स्थिति पर हो रहा है।

महिलाओं के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियाँ :

1. **रोजगार के कम अवसर :** महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में अधिक मौके नहीं मिलते, और जब मिलते हैं, तो उन्हें अधिकतर असुरक्षित और कम वेतन वाले क्षेत्रों में रखा जाता है।
2. **ग्लास सीलिंग :** महिलाओं को सीधे और सबसे ऊपर के पदों तक पहुँचने में कठिनाई होती है, जिसे "ग्लास सीलिंग" कहा जाता है। यह उन्हें प्रमोशन और अच्छे पदों तक पहुँचने में बाधित करता है।
3. **आर्थिक असमानताएँ :** भारत में अधिकतर महिलाएं आर्थिक असमानता का सामना कर रही हैं, जो उन्हें स्वतंत्र और समर्थ बनने में रोक रहा है।

महिलाओं के समक्ष विद्यमान राजनीतिक चुनौतियाँ :

1. **कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व :** भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जिसका परिणाम है कि उनकी आवाज को सार्वजनिक निर्णय में कम ही होती है।
2. **मुखिया पति या सरपंच पति' संस्कृति :** भारत के कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर महिलाओं को नाममात्र का ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है, और यह भी उनके पति या पुरुष रिश्तेदारों के पास ही रहते हैं।

महिलाओं के समक्ष अन्य चुनौतियाँ :

- **कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन :** भारत में कानूनों का अधिकारिक और सकारात्मक कार्यान्वयन होना चाहिए ताकि महिलाएं अपने अधिकारों का सही से उपयोग कर सकें।
- **वैश्वीकरण के फलस्वरूप उभरती चुनौतियाँ :** भारत में वैश्वीकरण के फलस्वरूप और शहरीकरण के साथ, महिलाओं को नई चुनौतियाँ भी मिल रही हैं, जिनमें उन्हें पर्याप्त सुरक्षा और समर्थन की जरूरत है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, समाज को सामूहिक रूप से सहयोग करना और महिलाओं को उच्च शिक्षा, रोजगार के अधिक अवसर, और समर्थन के लिए सुनिश्चित करना होगा।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

महिला सशक्तिकरण और भारत में लैंगिक समानता के लिए सुझाए गए कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित है –

महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण :

- **सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन :** सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए सामाजिक जागरूकता का विस्तार करना और समाज में लैंगिक समानता की महत्वपूर्णता को समझाना।
- **महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करना :** महिलाओं को समाज में समानता के लिए उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना और

उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

- **महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना :** कानूनी उपाय महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठिन कानूनी कार्र-वाई करना और कानूनों को सशक्त बनाए रखना।
- **सामाजिक परिवर्तन :** सामाजिक बदलाव के माध्यम से लोगों को लैंगिक समानता की महत्वपूर्णता समझाना और इसे समर्थन करने के लिए सामूहिक आंदोलनों को प्रोत्साहित करना।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण :

1. **महिलाओं में कौशल विकास करना :** महिलाओं को आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सक्षम हो सकें।
2. **ऋण तक पहुँच :** महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए साकारात्मक ऋण की सुविधा प्रदान करना और उन्हें व्यापार में भाग लेने के लिए सक्षम करना।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण :

1. **राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना :** महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में प्रमोट करना।
2. **महिलाओं में नेतृत्व का विकास करना :** महिलाओं को नेतृत्व विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना ताकि वे समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा सकें।
3. भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि हम समृद्धि और समाज की सभी वर्गों के साथ एक समरस, समानित और सांघरिष्ठ समाज की दिशा में अग्रसर हो सकें।
4. महिला कर्मचारियों के विवाह और उनकी घरेलू भागीदारी को पात्रता न रखने का आधार बनाने वाले नियमों के असंवैधानिक होने संबंधी अदालत की राय को सभी संगठनों को सुनना चाहिए ताकि कार्यस्थल महिलाओं के लिए बाधक बनने के बजाय उन्हें समर्थ बनाने वाले बन सकें।
5. भारत में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और अवसरों की राह में आनेवाली बाधाओं को तोड़ना होगा।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के नए दौर में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसरो, अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, IN-SPACE, निजी क्षेत्र का भारत की अंतरिक्ष नीति में भागीदारी ।

खबरों में क्यों ?

- भारत सरकार ने 21 फरवरी 2024 को, "उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों / उप-प्रणालियों के निर्माण" में शत-प्रतिशत – उपग्रह-निर्माण, संचालन एवं डेटा उत्पाद में 74 फीसदी तक; और प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष पोर्ट और उनके संबंधित प्रणालियों में 49 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

(एफडीआई) के लिए दरवाजा खोल दिया।

- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धि और विकास का सफर तेजी से बढ़ रहा है। इस समय, भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो इस क्षेत्र को नए ऊचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।
- हाल ही में, भारत सरकार ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को भागीदारी करने की अनुमति दी है और अंतरिक्ष नीति में सुधार किया गया है। इससे नए निवेशकों को आकर्षित करने में मदद होगी और अंतरिक्ष क्षेत्र में नए तकनीकी उत्पादों और सेवाओं की विकास में सहायक होगी।
- भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को सीधे विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है, जिससे इस क्षेत्र में नए और नवाचारी प्रोजेक्ट्स के लिए उच्च पूंजी उपलब्ध हो सकती है। यह नीति भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन के साथ मुकाबले में और भी सकारात्मक रूप से स्थिति बनाने में मदद कर सकती है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित होगा कि नए तकनीकी उत्पाद और सेवाएं विकसित होती रहें जो अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह सेवाएं, और अन्य अंतरिक्ष कार्यों को समर्थन करें।
- भारत ने 2020 में राज्य की अगुवाई में होने वाले सुधारों के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया है। इसके माध्यम से भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला है और नई नीतियों के साथ 'भू-स्थानिक दिशानिर्देश' और 'भारतीय अंतरिक्ष नीति' को लागू किया गया है।
- सरकार को स्पष्ट नियामक माहौल बनाए रखने, लालफीताशाही को कम करने, सार्वजनिक समर्थन बढ़ाने और भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजारों तक पहुंच को आसान बनाए रखने की जरुरत की ओर ध्यान दे रही है । इसके साथ ही, सार्वजनिक समर्थन और निजी कंपनियों को विदेशी बाजारों में पहुंच को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय किया जा रहा है।
- भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए कदम उठाये हैं और इसमें निजी कंपनियों को भूमिका मिलने से उन्हें और भी सकारात्मक रूप से सहयोग होगा। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए संभावनाओं का सामना किया जा सकेगा और भारत एक विश्वस्तरीय अंतरिक्ष शक्ति बन सकता है।
- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है जिसमें निजी क्षेत्र को भी बड़ा हिस्सा मिल रहा है।
- इस नए दौर में, सरकार ने उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट, उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों / उप-प्रणालियों के निर्माण में विदेशी निवेश के लिए दरवाजा खोला है। इससे निजी कंपनियों को बड़े परियाप्त मात्रा में निवेश करने का अवसर मिलेगा और यह सेक्टर विकसित होने में मदद करेगा। इससे भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन के साथ मुकाबले में अधिक सक्षम बनेगा और विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा।
- भारतीय स्टार्ट-अप्स ने वर्ष 2021-23 में दुनिया भर से जुटाए गए 37.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक "महत्वपूर्ण" हिस्से को अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स के रूप में निवेश किया है। इससे इन कंपनियों को विकसित होने में मदद मिलेगी और वे नए निवेशकों को आकर्षित कर सकेंगी।

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की शुरुआत विभिन्न अंतरिक्ष यान और उपग्रह लॉन्चिंग में सफलता से हुई थी। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास और सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अतः भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास के लिए अपनाए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित है –

1. **अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत तकनीकी उत्पादों का निर्माण के लिए नीति और सुधारात्मक पहल अपनाना :** भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नए नीतियों को अपनाया है जिसमें निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी करने का मौका मिला है। इससे नए और उन्नत तकनीकी उत्पादों का निर्माण हो रहा है और इससे अंतरिक्ष क्षेत्र की विशेषज्ञता भी विकसित हो रही है।

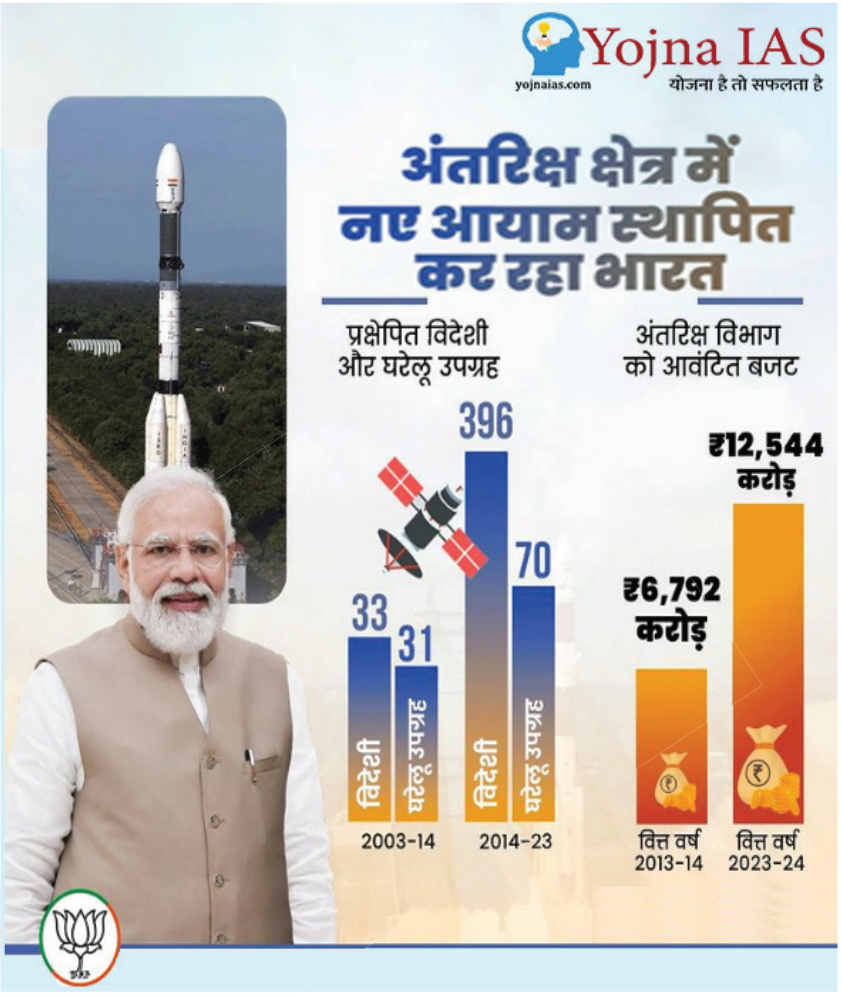

2. **भारतीय अंतरिक्ष नीति :** भारतीय अंतरिक्ष नीति के अनुसार, निजी कंपनियां अंतरिक्ष से जुड़ी विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि उपग्रह निर्माण, उपग्रह संचालन, और डेटा उत्पाद के क्षेत्र में भी कार्य कर सकती हैं ।

3. **दूरसंचार अधिनियम 2023 :** इस अधिनियम के द्वारा, भारत ने उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया है, जिससे आम लोगों को भी अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी।

4. **निजी निवेश के लिए द्वार खोलना :** भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने का दरवाजा खोला है, जिससे विभिन्न विश्वस्तरीय कंपनियां भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान के लिए निवेश कर सकती हैं।

5. **अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना :** भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्टार्ट-अप्स को स्थापित करने के लिए सुविधाएं प्रदान किया जा रहा है, जिससे भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में विभिन्न नए और उन्नत विचारों को बढ़ावा मिल रहा है।

- भारत अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास के लिए सकारात्मक कदम उठा रहा है और इसमें निजी कंपनियों को शामिल करके एक विश्वस्तरीय चैम्पियन बन रहा है।

- अंतरिक्ष के वित्तीय, सामाजिक-आर्थिक और भू-राजनीतिक निहितार्थों ने अंतरिक्ष से जुड़ी रोमांटिक धारणाओं की जगह ले ली है। अंतरिक्ष से जुड़ी प्रौद्योगिकियां और अंतरिक्ष के उड़ान महंगे एवं जोखिम भरे प्रयास होते हैं जिनमें संलग्न होने के लिए दशकों से सिर्फ राष्ट्रीय एजेंसियां ही उपयुक्त थीं। यह अब सच नहीं रहा क्योंकि निजी क्षेत्र की कंपनियों से बाजार के अवसरों की पहचान तथा तेजी से नवाचार करके पूरक, संवर्द्धन और/या नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 :

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने इस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को जारी किया है, जिस पर वह कुछ वर्षों से काम कर रहा था। इस नीति का स्वागत नए अंतरिक्ष युग में भारत के प्रवेश की दिशा में एक प्रगति के रूप में किया गया है।

- 1990 के दशक की शुरुआत तक भारत के अंतरिक्ष उद्योग और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को इसरो द्वारा ही

परिभाषित किया जाता था। इनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी इसरो के डिजाइन और विशिष्टताओं में सहयोग देने तक सीमित थी।

- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में उपग्रहों और रॉकेटों के अंतरिक्ष में प्रक्षेपण से लेकर अर्थ स्टेशनों के संचालन तक में निजी उद्यमों को सभी गतिविधियों में प्रवेश के लिए भारत सरकार द्वारा पहल किया गया है।

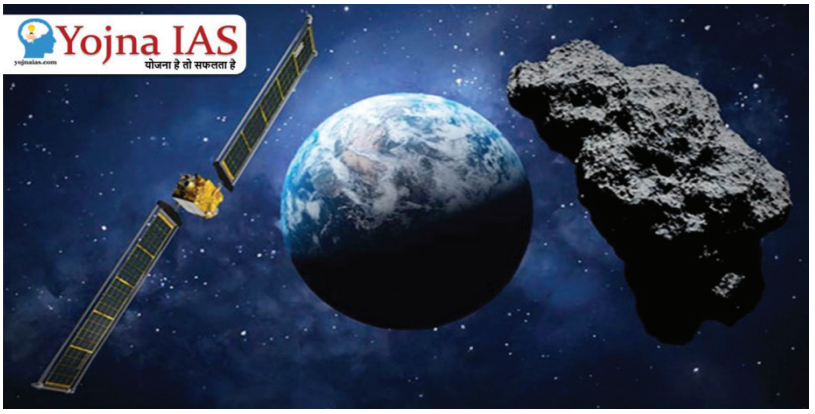

भारत ने अतीत में भी अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। जो निम्नलिखित है –

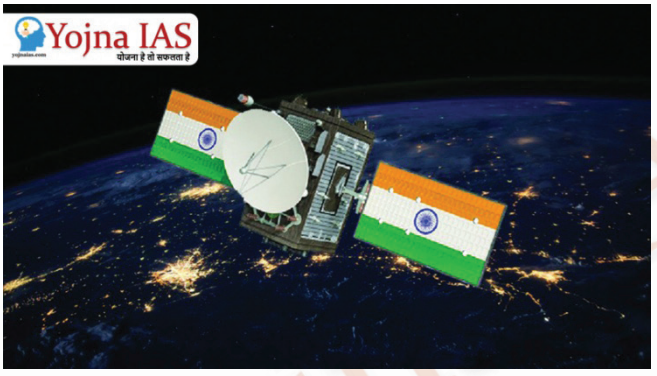

1. **प्रथम उपग्रह संचार नीति (First Satellite Communication Policy) :** इस नीति को 1997 में पेश किया गया था, जिसमें उपग्रह उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि, इसे बाद में और उदार बनाया गया, लेकिन प्रथम उपग्रह संचार नीति के प्रति निजी क्षेत्रों में अधिक उत्साह देखने को नहीं मिला था ।

2. **दूरस्थ संवेदन डेटा नीति (Remote Sensing Data Policy) :** इस नीति को वर्ष 2001 में पेश किया गया था, जिसे वर्ष 2011 में संशोधित भी किया गया था और फिर इसे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था , को वर्ष 2022 में और भी ज्यादा उदार बनाई गई थी ।

3. **मसौदा अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक (Draft Space Activities Bill) :** इस विधेयक को वर्ष 2017 में लाया गया था, जो 2019 में तत्कालीन लोकसभा के विघटन के साथ ही समाप्त हो गया था। भारत सरकार से वर्ष 2021 में नया विधेयक पेश करने की अपेक्षा की गई थी , लेकिन इसरो द्वारा जारी नई नीति से भारत सरकार का संभवतः संतुष्ट हो जाना प्रतीत होता है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत द्वारा निजी निवेशकों को शामिल करने का कारण :

1. **भारत का पिछड़ापन :** वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी कम है, और निजी क्षेत्र के निवेशकों को शामिल करने से भारत द्वारा इसे मजबूत किया जा सकता है।

2. **भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का दोहन:** इसे बढ़ावा देने से भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है, जिससे रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं।

3. **निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात :** निजी कंपनियों को बढ़ावा देने से अंतरिक्ष क्षेत्र में नए तकनीकी और उद्यमिता के क्षेत्रों में क्रांति हो सकती है।

4. **सुरक्षा और रक्षा :** भारत द्वारा स्वदेशी उपग्रहों का उपयोग करने से सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन में सुधार

हो सकता है।

5. **अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना** : भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा देने से भारतीय युवाओं और उद्यमियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्यमिता के क्षेत्र मेंअधिक रूचि हो सकती है।

6. **भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को वैश्विक उद्योग के समकक्ष बनाना :** निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में विक्रेता बनाए रखने की क्षमता हो सकती है।

7. **अर्थव्यवस्था में सुधार :** निजी निवेशको को शामिल करने से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्राप्त कर सकता है।

8. **अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना :** निजी क्षेत्र के निवेशकों के समर्थन से भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है।

9. **रोजगार के अवसर का सृजन :** भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास से नए रोजगार के अवसर बन सकते हैं, जो युवा और उद्यमिता के लिए एक सार्थक क्षेत्र सृजित कर सकता है।

10. **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में समर्थन :** निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से भारतीय का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बन सकता है।

11. **अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी में निजी उद्यमिता को बढ़ावा देना :** भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की गतिविधियों में भारतीय युवा और उद्यमियों को सक्षम बनाने से उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई ऊर्जा और उत्पादों के लिए नए आविष्कार हो सकते हैं।

12. **अंतरिक्ष क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक में सुधार :** भारत का निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी से अंतरिक्ष क्षेत्र में नई तकनीकियों और विज्ञान में सुधार हो सकता है।

इस प्रकार, निजी क्षेत्र के निवेशकों को शामिल करने से भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार के क्षेत्र में अधिक सशक्त हो सकता है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का उद्देश्य :

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का उद्देश्य है – 'अंतरिक्ष में एक समृद्ध वाणिज्यिक उपस्थिति को सक्षम, प्रोत्साहित और विकसित करना। इस नीति के मुख्य बिंदुओं में एक सारांश प्रदान किया जा सकता है:

1. **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (InSPACe) :** इस नीति के तहत, InSPACe बनाया गया है जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण, लॉन्च पैड स्थापना, उपग्रहों की खरीद-बिक्री और हाई-रिज़ॉल्यूशन डेटा प्रसार करने के लिए एकल खिड़की मंज़ूरी एवं प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। इसमें गैर-सरकारी निकायों और सरकारी कंपनियों के साथ साझेदारी भी शामिल होगी। InSPACe एक स्थिर और पूर्वानुमेय विनियामक ढाँचा तैयार करेगा।

2. **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) :** इसका उद्देश्य अंतरिक्ष संबंधी घटकों, प्रौद्योगिकियों, और मंचों के व्यावसायीकरण के साथ-साथ सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की खरीद-बिक्री के लिए जिम्मेदार होना है।

3. **अंतरिक्ष विभाग :** यह विभाग भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित समग्र नीति- निर्माण और दिशा – निर्देश प्रदान करता है और भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए यह एक नोडल विभाग होता है । इसका कार्य विदेश मंत्रालय के साथ वैश्विक अंतरिक्ष प्रशासन और कार्यक्रमों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की दिशा में भी होगा। इस विभाग का उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र बनाना है।

4. **इसरो की भूमिका :** इस नीति के अनुसार, इसरो को अब उद्योगों के साथ पारंपरिक भूमिका से बाहर निकलकर वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिपक्व प्रणालियों को स्थानांतरित करने का मौका मिलेगा। इससे इसरो को अधिक प्रौद्योगिकियों, नई प्रणालियों के विकास, और दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करने का अवसर मिलेगा।

इस प्रकार, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने एक समृद्ध और विकसित अंतरिक्ष क्षेत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश का परिणाम :

- भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश से यह अंतरिक्ष गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- इसमें स्थापित निजी क्षेत्र कंपनियाँ (NGEs) अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों की स्थापना और संचालन करने के लिए अनुमति प्राप्त कर रही हैं।
- इसके द्वारा स्पेस ऑब्जेक्ट्स, भूमि-आधारित संपत्तियों, संचार, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन, और अन्य संबंधित सेवाएं शामिल हैं।
- निजी क्षेत्रों के निवेशकों द्वारा निवेश से उपग्रह स्व-स्वामित्व वाले हो सकते हैं और इन्हें खरीदा जा सकता है या पट्टे पर लिया जा सकता है।
- संचार सेवाएँ भारत या विदेश से प्राप्त की जा सकती हैं और रिमोट सेंसिंग डेटा को भारत या विदेश में प्रसारित किया जा सकता है।
- NGEs अंतरिक्ष परिवहन के लिए लॉन्च वाहनों को डिजाइन और संचालित कर सकते हैं और अपनी स्वयं की आधारभूत संरचना स्थापित कर सकते हैं।
- NGEs अब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के साथ फाइलिंग कर सकते हैं और उपग्रहीय संसाधनों की वाणिज्यिक वापसीमें सहायक बन सकते हैं। इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है और विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग का मौका मिलता है।
- इससे यह स्पष्ट होता है कि अंतरिक्ष गतिविधियों का पूरा दायरा अब निजी क्षेत्र के लिए खुल गया है। सुरक्षा एजेंसियाँ विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए NGEs को समाधान प्रदान करने का कार्य सौंप सकती हैं।
- भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और शोध में निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है और यह भारत की सुरक्षा एजेंसियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समर्थ समाधान प्रदान करने में मदद कर सकता है।

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा निवेश करने की नीति में व्याप्त कमियाँ :

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा निवेश करने की नीति में व्याप्त कमियों और IN-SPACe के चरणों के लिए समयसीमा की कमी को दूर करने के लिए कुछ सुझाव –

समय सीमा का निर्धारण करना :

- भारत सरकार को IN-SPACe के लिए एक स्थिर समय – सीमा तय करना चाहिए, जिससे इसकी स्थापना और परिचालन को सुनिश्चित किया जा सके , और जिससे IN-SPACe को विधायिका से प्राधिकृति प्राप्त हो सके।

FDI और लाइसेंसिंग नियमों की स्पष्टता निर्धारण करना :

- भारत सरकार को परिकल्पित नीतिगत ढाँचे में FDI और लाइसेंसिंग के संबंध में स्पष्ट नियमों और विनियमों की आवश्यकता है। नए अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स के लिए सरकारी खरीद, उल्लंघन के मामले में देयता और विवाद निपटान के लिए स्पष्ट नियम तय करना चाहिए।

IN-SPACE को विधायी प्राधिकार प्रदान करना :

- भारत सरकार को इस क्षेत्र के लिए एक विधेयक पारित करना चाहिए, जिससे IN-SPACe को वैधानिक दर्जा प्राप्त हो सके। इस विधेयक में ISRO और IN-SPACe के लिए समयसीमा निर्धारित करना चाहिए और इसमें विदेशी निवेश और सरकारी समर्थन के लिए भी निर्देश शामिल करना चाहिए।

समर्थन और अनुशासन को अधिक बढ़ावा देना :

- भारत सरकार को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक सकारात्मक अनुशासन और समर्थन प्रणाली को विकसित करना चाहिए, जिससे नए अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स को सरकारी सहायता मिल सके। भारत सरकार को निवेश को बढ़ावा देने और नए उद्यमों को समर्थन प्रदान करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए।

सांविदानिक एवं समृद्धि संरचना को विकसित करना :

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास की दृष्टि से समृद्धि संरचना को बनाए रखना चाहिए, ताकि अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स को आवश्यक सांविदानिक, तकनीकी और आर्थिक सहायता मिल सके। इन माध्यमों से सरकार और IN-SPACe विकसित होकर अंतरिक्ष क्षेत्र में नए ऊर्जावान और सफलतापूर्वक कार्रवाई कर सकते हैं।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- IN-SPACe एक नियामक संस्था है लेकिन इसे विधायी प्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः भारत सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन कर इसे एक विधायी प्राधिकार बनाना चाहिए ।
- सरकार को अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक माहौल को स्पष्ट रखना चाहिए।
- अंतरिक्ष नीति 2023 एक भविष्योन्मुखी दस्तावेज है जो अच्छी मंशा और विजन को प्रकट करता है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। तत्काल आवश्यकता है कि इस विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक विधिक ढाँचा प्रदान करने हेतु एक समयसीमा तय किया जाए ताकि भारत को सफलतापूर्वक द्वितीय अंतरिक्ष युग में प्रक्षेपित किया जा सके। सरकार को एक विधेयक लाना चाहिए जो IN-SPACe को वैधानिक दर्जा प्रदान करे और ISRO और IN-SPACe दोनों के लिए समयसीमा भी निर्धारित करे। यह विधेयक विदेशी निवेश, नए अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए सरकारी समर्थन आदि से संबंधित अस्पष्टता को भी संबोधित करे।
- इस प्रक्रिया में सरकार को स्पष्ट नियामक माहौल बनाए रखने लालफीताशाही को कम करने, सार्वजनिक समर्थन बढ़ाने और भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजारों तक पहुंच को आसान बनाए रखने की जरुरत है। इसके बिना, यह समर्थन बढ़ाने वाले उदार नीतियों का पूर्ण फायदा नहीं हो सकता। इस प्रकार, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र नए उच्चायों की ओर बढ़ रहा है और निजी कंपनियों को इसमें भूमिका निभाने का एक नया मौका प्रदान कर रहा है।
- सरकार को नियामक माहौल को सुनिश्चित करना होगा ताकि अंतरिक्ष सेक्टर में कार्रवाई होती रहे और उच्च गुणवत्ता और सुरक्षितता के मानकों का पालन किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के नए दौर में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।

1. भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है जिसमें निजी क्षेत्र के निवेशकों को 100 प्रतिशत निवेश करने का अधिकार मिल रहा है।
2. दूरस्थ संवेदन डेटा नीति को वर्ष 2001 में पेश किया गया था, जिसे व वर्ष 2016 में राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था।
3. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का उद्देश्य – 'अंतरिक्ष में एक समृद्ध वाणिज्यिक उपस्थिति को सक्षम, प्रोत्साहित और विकसित करना' है।
4. भारत सरकार को इसरो को एक दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, जिससे IN-SPACe को वैधानिक दर्जा प्राप्त हो सके।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 3 और 4

(C) केवल 2 और 4

(D) केवल 2 और 3

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो की भूमिका के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के नए दौर में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत निजी निवेशकों की भागीदारी से भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में किस प्रकार आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति की भूमिका निभा सकता है ? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

इंटरनेट शटडाउन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

स्त्रोत्र – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, इंटरनेट शटडाउन , सोशल मीडिया, मौलिक अधिकार कर्नाटक उच्च न्यायालय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ट्विटर/एक्स, एक्सेस नाउ समूह ।

खबरों में क्यों ?

- वर्ष 2020-21 में भारत में किसान आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के पहले दौर के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कई व्यापक अवरोधन आदेशों को चुनौती देने के लिए ट्विटर/एक्स ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल पीठ के न्यायाधीश ने पहले तो एक्स की इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में ट्विटर/एक्स फर्म की अपील को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई चल रही है।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय के मौजूदा फैसले ने इस विचार को बल दिया है कि सरकारी अधिकारियों को सामग्री के प्रवर्तकों को नोटिस देने या यहां तक कि हिसाब मांगने की आवश्यकता के बिना वैध तर्क के आधार पर किसी भी सामग्री को अवरुद्ध या किसी भी स्तर अवरोधन के आधार पर आदेश जारी करने में व्यापक अधिकार प्राप्त है।
- हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में सोशल मीडिया ट्विटर/एक्स की अपील निश्चित रूप से भारत में सोशल मीडिया कंपनियों के अपने प्लेटफार्मों पर किसी सामग्री पर दिखाने या प्रसारित करने के सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारों और उनके दायित्वों को स्पष्ट करेगी।
- जहां तक सरकार की बात है, उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इस तरह की कार्रवाइयों का एक स्वतंत्र, खुले और लोकतांत्रिक समाज के रूप में भारत की प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ता है, जो सोशल मीडिया कंपनियों के देश में सिर्फ एक की उपस्थिति से परे बड़ा उपभोक्ता आधार काम करने का एक प्रमुख कारण है।
- हाल ही में भारत के विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा इंटरनेट शटडाउन और सोशल मीडिया पर मनमाने प्रतिबंधों का मुद्दा एक बड़े विवाद का कारण बन गया है, जिससे भारत में राजनीतिक और सामाजिक विरोध को लेकर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के प्रश्नों उत्पन्न हो रहे हैं।
- हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को किसान आंदोलन के समय इस विवाद में शामिल होते हुए देखा गया है। राज्य सरकारों ने इस मुद्दे में बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना किसी ठोस एवं सही रणनीतिक कारणों के बावजूद उठाया है, जिससे जनसमर्थन में तो कमी आ ही रही है और भारत के संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पर भी बहस शुरू हो गई है।

- भारत में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को नोटिस जारी करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग करके खातों को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, जो उन्हें नकारात्मक प्रतिरोध करने वालों के साथ जुड़ा है।
- भारत में यह एक सत्ताधारी सरकारों के लिए उपचारात्मक उपाय हो सकता है, लेकिन इसमें सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है कि सरकारों का यह व्यव्हार व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करे।
- इसके बावजूद भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स ने अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है, जिससे उपयोगकर्ताओं को एक्स को स्वतंत्रता के मुद्दे में उनके स्वयं के निर्णयों का सामर्थ्य बनाए रखने के लिए चुनौती देने वाले न्यायिक याचिका में विफलता का प्रमुख कारण बन गया है।
- सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकारों के बीच यह विवाद सत्ता के प्रयोग में सावधानी और न्याय की आवश्यकता को दिखा रहा है।
- भारत में सरकारों और नागरिकों दोनों के द्वारा ही यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि समाज में स्वतंत्रता और विभिन्न धाराओं के विचार का और बहुलतावादी समाज का समर्थन किया जाए, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए ताकि इससे भारत की समृद्धि और देश एकता और अखंडता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो और न देश की एकता और अखंडता पर कोई आंच ही आये।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान :

भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन से संबंधित नियमों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल है –

भारतीय तार अधिनियम 1885, धारा 5(2) :

- इस धारा के तहत, दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की अनुमति है। सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में, संघ या राज्य के गृह सचिव को टेलीग्राफ या तार सेवा (इंटरनेट सहित) को निलंबित करने का आदेश देने का अधिकार है। इसके लिए एक समिति द्वारा पाँच दिनों के भीतर समीक्षा करना आवश्यक है, और यह एक बार में 15 दिनों से अधिक अवधि तक जारी नहीं किया जा सकता। किसी विशेष परिस्थिति में अत्यंत आवश्यकता होने के मामले में, संघ या राज्य के गृह सचिव या अधिकृत संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी आदेश जारी कर सकता है।

समीक्षा समिति की आवश्यकता:

- इसके अनुसार, जब भी ऐसा आदेश जारी किया जाता है, उसे पाँच दिनों के भीतर समीक्षा समिति द्वारा समीक्षित किया जाना चाहिए।

दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की आदेश की अवधि:

- एक बार में जारी किए जाने वाले ऐसे आदेश की अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है।

अत्यावश्यक स्थिति में अधिकृत आदेश:

- अगर कोई अत्यावश्यक स्थिति हो, तो संघ या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी भी आदेश जारी कर सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 :

- इस धारा के तहत, जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक शांति में उपद्रव या व्यवधान को निषिद्ध करने या रोकने के लिए आदेश जारी

करने का अधिकार है। इसके तहत आदेश में इंटरनेट सेवाओं का निलंबन: ऐसे आदेश में, विशेष क्षेत्र में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए इंटरनेट सेवाओं का निलंबन को भी शामिल किया जा सकता है।

- इस प्रकार, ये प्रावधान इंटरनेट शटडाउन से संबंधित नियमों को स्पष्टता से स्थापित करते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा या आपातकाल की स्थितियों में सरकार को आवश्यकता के अनुसार कदम उठाने का अधिकार प्रदान करते हैं।

इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव :

- इंटरनेट शटडाउन अनुच्छेद 19(1) (a) और अनुच्छेद 19(1) (g) के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। **सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) मामले** में माना कि इंटरनेट के माध्यम से वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी भी वृत्ति का अभ्यास करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
- **इंटरनेट शटडाउन सूचना के अधिकार (Right to Information) का भी उल्लंघन करता है** जिसे राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया है।
- **यह इंटरनेट के अधिकार (Right to Internet) का भी उल्लंघन करता है जिसे फाहीमा शीरीं बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया गया था।**

आर्थिक परिणाम :

- इंटरनेट शटडाउन के गंभीर आर्थिक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे व्यवसाय वित्तीय हानि के शिकार हो सकते हैं जो संचालन, बिक्री और संचार के लिये इंटरनेट पर निर्भर होते हैं। इससे स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- 'Top 10 VPN' के अनुसार **भारत में इंटरनेट शटडाउन के कारण वर्ष 2023 की पहली छमाही में 2,091 करोड़ रुपए (255.2 मिलियन डॉलर) की हानि हुई थी।**

शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले रूकावट और व्यवधान :

- भारत में कई शैक्षणिक संस्थान शिक्षण और अधिगम (लर्निंग) के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं। इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में छात्र – छात्राओं को उन शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच को बाधित करते हैं, जिससे छात्र – छात्राओं के लिए अध्ययन जारी रखना कठिन कार्य हो जाता है। जिससे उनके शिक्षण में रूकावट और व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं।

सेंसरशिप और भरोसा संबंधी चिंताएँ :

- इंटरनेट शटडाउन से सरकार और प्राधिकारों के प्रति भरोसे की कमी की स्थिति बन सकती है। वे सेंसरशिप और पारदर्शिता की कमी के बारे में भी चिंताएँ उत्पन्न कर सकते हैं।

आपदा की स्थिति में या प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न होना :

- इंटरनेट शटडाउन से लोगों के संचार और समन्वय को, विशेष रूप से किसी भी प्रकार की आपात की स्थिति में और किसी भी संकट के दौरान, प्रभावित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) समर्थित एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इंटरनेट शटडाउन से लोगों की सुरक्षा और भलाई प्रभावित होती है, सूचना प्रवाह और मानवीय सहायता में बाधा उत्पन्न होती है।

स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होना :

- इंटरनेट शटडाउन के कारण उत्पन्न के कारणों पर हुए विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति एवं उपकरणों के रखरखाव में बाधा, चिकित्साकर्मियों के बीच स्वास्थ्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सीमित करने और आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बाधित करने के रूप में स्वास्थ्य प्रणालियों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिणाम :

- इंटरनेट शटडाउन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर सकता है और इसकी निंदा की जा सकती है। इससे किसी देश की प्रतिष्ठा और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को नुकसान पहुँच सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत विश्व में इंटरनेट शटडाउन के मामले में तीसरे स्थान वाला देश है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में वर्ष 2023 की पहली छमाही में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा। अमेरिका के डिजिटल अधिकार पक्ष समर्थक समूह 'एक्सेस नाउ' (Access Now) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सभी दर्ज शटडाउन में से केवल भारत में ही 58% मामले घटित हुए।

पत्रकारिता और रिपोर्टिंग पर प्रभाव :

- पत्रकार घटनाओं की रिपोर्टिंग करने और आम लोगों के साथ समाचार साझा करने के लिए इंटरनेट पर निर्भर होते हैं। इंटरनेट शटडाउन सूचना संग्रहण और प्रसारण की उनकी क्षमता में बाधा डाल सकता है, जिससे आम लोगों के सूचना का अधिकार (Right to know) को धक्का पहुँच सकता है।
- इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ (1986) और बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ (1972) मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया था।

इंटरनेट शटडाउन के संदर्भ में पक्ष में दिया जाने वाला तर्क :

हेट स्पीच और फेक न्यूज को रोकना :

- इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में दिए जाने वाले एक तर्क के अनुसार भारत में इंटरनेट शटडाउन करके, भारत में हेट स्पीच और फेक न्यूज़ जैसी अवास्तविक सूचनाओं का प्रसार रोका जा सकता है, जिससे हिंसा और सांप्रदायिक या जातीय आधार पर होने वाले दंगों को रोका जा सकता है ।
- उदाहरण के लिए – भारत सरकार ने किसानों के आंदोलन और प्रदर्शन के समय इंटरनेट शटडाउन करने का ऐलान किया, जिससे किसानों के आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान फ़ैलाने वाले अफवाहों और भ्रांतियों को रोकने का प्रयास किया गया था।

लोक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए :

- इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में दिए जाने वाले एक अन्य तर्क के अनुसार भारत में इंटरनेट शटडाउन से विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित कर सरकार लोक व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा और समाज में शांति को बरक़रार बनाए रख सकती है, जिससे विशेषज्ञों और सुरक्षा बलों को किसी भी अप्रिय घटना के संबंध में उसके घटने से पूर्व ही संकेत मिल जाता है। उदाहरण के लिए – भारत में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद, कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन करके सुरक्षा प्राधिकृत्य को बनाए रखने का प्रयास किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए :

- इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में दिए जाने वाले एक अन्य तर्क के अनुसार भारत में इंटरनेट शटडाउन से राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सजग रहकर सरकार साइबर हमलों से निपट सकती है और बाह्य खतरों से सुरक्षित रख सकती

है। उदाहरण के लिए – चीन के साथ गतिरोध के दौरान, सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करके राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की गई।

आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार और प्रचार पर नियंत्रण :

- इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में दिए जाने वाले एक अन्य तर्क के अनुसार भारत में इंटरनेट शटडाउन से ऐसी सामग्री का वितरण और उपभोग को नियंत्रित किया जा सकता है या उसके प्रसार और प्रचार को भी नियंत्रित किया जा सकता है जो हानिकारक या आपत्तिजनक हो सकती है। उदाहरण के लिए – कुछ क्षेत्रों में सरकार ने आपत्तिजनक छवियों या वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट का उपयोग अवरुद्ध किया है।

इंटरनेट शटडाउन के संदर्भ में विपक्ष में दिया जाने वाला तर्क :

- इंटरनेट शटडाउन का विरोध करने वाले कई विचारकों ने यह तर्क दिया है कि इस प्रकार के कठिन प्रतिबंधन से लोकतंत्र और जवाबदेही को कमजोर करने का खतरा हो सकता है। उनका कहना है कि इंटरनेट नागरिकों को सूचनाओं तक पहुंचाने, विचार व्यक्त करने, सार्वजनिक विमर्श में भाग लेने और अधिकारियों के कार्यों की जिम्मेदारी लेने का माध्यम प्रदान करता है। इससे यह प्राप्त हो सकता है कि इंटरनेट शटडाउन से यह सभी गुण समाप्त हो जाएंगे और सरकारें अपने अनुयायियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने में असमर्थ हो सकती हैं।

- इसके अलावा, इंटरनेट शटडाउन से सत्तावादी सरकारें आलोचकों को चुप कराने और विकृत सूचना प्रतिध्वनि कक्ष (distorted information echo chambers) बनाने में सक्षम हो सकती हैं। यह एक तरह से सत्तावाद की समर्थन कर सकता है और आपत्तिजनक विचारों का प्रसार करने का माध्यम बना सकता है, जिससे सामाजिक विघटन बढ़ सकता है।

- कुछ विचारक इस पर जोर देते हैं कि इंटरनेट शटडाउन एक अप्रभावी और प्रतिकूल उपाय है, क्योंकि इससे वह समस्याओं के मूल कारणों का समाधान नहीं करता है जिनके समाधान की इससे अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए, इससे हिंसा और आतंकवाद को रोकने में सफलता नहीं मिलती, बल्कि यह प्रभावित आबादी में आक्रोश और असंतोष बढ़ा सकता है।

- इसके साथ ही, इंटरनेट शटडाउन फेक न्यूज़ और हेट स्पीच के प्रसार पर रोक नहीं लगा सकता है, बल्कि यह सूचना शून्यता की स्थिति पैदा कर सकता है जिससे अभिकर्ता लाभ उठा सकते हैं। इससे विभिन्न समृद्धि में विघटन बढ़ सकता है और सामाजिक समरसता को कमजोर कर सकता है।

- कुछ विचारकों का यह भी मानना है कि, इंटरनेट शटडाउन को मनमाना उपाय माना जा सकता है और इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि इसे अक्सर उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता या न्यायिक निरीक्षण के बिना लागू किया जाता है। इससे स्थानीय अधिकारियों को अधिक शक्ति देने का खतरा हो सकता है, जिससे वे इसे अपने राजनीतिक हस्तक्षेप का सहारा लेने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि इंटरनेट शटडाउन का मनमाना उपाय होने के कारण सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जाए, और यह न्यायिक प्रक्रिया और गुणवत्ता के मानकों के सभी स्तरों को पूर्ण करता हो।

इंटरनेट शटडाउन से निपटने के उपाय :

इंटरनेट शटडाउन से निपटने के लिए उपयुक्त कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं –

कानूनी और नियामक ढाँचे को सुदृढ़ करना :

- भारत में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें यह सुनिश्चित करें कि इंटरनेट शटडाउन को नियंत्रित करने वाले कानूनी एवं नियामक ढाँचे सुदृढ़ हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पूरा पालन करते हैं।

- सरकार को तार अधिनियम और उसके नियमों में संशोधन करना चाहिए ताकि वे संवैधानिक और मानवाधिकार

मानकों का पूरा पालन करें।

अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना :

- भारत में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इंटरनेट शटडाउन का आदेश देने और लागू करने वाले अधिकारियों की पारदर्शिता बढ़ाएं और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करें।
- इंटरनेट शटडाउन से प्रभावित होने वाले लोगों / नागरिकों के लिए प्रभावी उपचार प्रदान करें और उनकी सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करें।

वैकल्पिक विकल्पों की तलाश करना :

- भारत में सरकार को इंटरनेट शटडाउन करने के बजाय किसी अन्य कम हस्तक्षेपकारी उपायों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि विधि-व्यवस्था की गड़बड़ी का सुधार, सांप्रदायिक हिंसा और आतंकवाद से निपटना, विशिष्ट वेबसाइटों या कंटेंट को अवरुद्ध करना, चेतावनी जारी करना, नागरिक समाज और मीडिया को संलग्न करना, अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती करना इसमें शामिल हो सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा – निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना :

- भारत में सरकारों को चाहिए कि वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इंटरनेट शटडाउन करने के दिशा – निर्देशों का पूरा पालन करें, जिनमें इंटरनेट निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए सीमित होने का आदान-प्रदान है। इंटरनेट शटडाउन करने के निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए आदेशों का आनुपातिक-ता के सिद्धांत का पूरा पालन करें और सरकार उनकी अवधि को बढ़ाने से बचें।
- **भारत में सरकारें यदि इन सुझावों को अपनाकर सरकार सही दिशा में कदम उठाती है, तो इंटरनेट शटडाउन के संबंध में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम किया जा सकता है और भारत में मानवा-धिकारों का पूरा पालन हो सकता है।**

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों को सोशल मीडिया की सामग्री पर रोक लगाने के आदेश जारी करने वाली सरकारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
- इंटरनेट शटडाउन और सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मनमाने ढंग से प्रतिबंध का उपयोग सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सवालों को उठाने का एक सामंजस्यपूर्ण तरीका हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है।
- इंटरनेट शटडाउन का उपयोग सुरक्षा और आत्मरक्षा के उद्देश्य से किया जा सकता है। किसी भी असुरक्षित स्थिति या आपत्ति के समय, सरकारें इंटरनेट सेवाओं को बंद करके लोगों की सुरक्षा करने का प्रयास कर सकती हैं। यह एक असुविधाजनक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है।
- सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना समाज में आपसी विरोध को बढ़ा सकता है। इससे स्वतंत्र और विचारशील विचारों को दबाया जा सकता है, जिससे लोग खुदरा बन सकते हैं। सोशल मीडिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने वाले व्यक्तियों के बीच विचार-विरोध की अवस्था बन सकती है, जो समाज में गहरे द्वंद्वों का कारण बन सकती है।
- सरकारों द्वारा ऐसे प्रतिबंध का उपयोग सत्ताधारी संरचनाओं द्वारा विरोधी आलोचना को दबा सकता है और लोगों की आवाज को अदृश्य या गूंगा बना सकता है। सोशल मीडिया एक जनसमृद्धि का साधन हो सकता है जो लोगों को एक साथ ला सकता है और उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूक कर सकता है।
- इंटरनेट शटडाउन या सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बजाय, सकारात्मक और सजीव संवाद को बढ़ावा

देना चाहिए ताकि लोग स्वतंत्र रूप से और खुले मन से अपने विचारों को एक -दूसरे के साथ साझा कर सकें।

- इंटरनेट शटडाउन और सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का उपयोग आवश्यक स्थितियों में हो सकता है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक और सामंजस्यपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। समृद्धि, न्याय, और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सरकारों को उचित दिशा में कदम उठाना चाहिए, ताकि लोगों का अधिक से अधिक सहभागिता हो सके और वे स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में इंटरनेट शटडाउन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को नोटिस जारी कर सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, जो उन्हें नकारात्मक प्रतिरोध का उदहारण है।
2. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कई व्यापक अवरोधन आदेशों को चुनौती देने के लिए ट्विटर/एक्स ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील दायर किया था।
3. भारत में सरकारों द्वारा इंटरनेट शटडाउन करके, हेट स्पीच और फेक न्यूज़ जैसी अवास्तविक सूचनाओं का प्रसार को नहीं रोका जा सकता है।
4. इंटरनेट शटडाउन एक अप्रभावी और प्रतिकूल उपाय है, क्योंकि इससे वह समस्याओं के मूल कारणों का समाधान नहीं करता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, और 3

(B) केवल 2, 3 और 4

(C) केवल 1 और 4

(D) केवल 1, 2 और 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. इंटरनेट शटडाउन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं ? चर्चा कीजिए कि भारत में इंटरनेट शटडाउन नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कैसे करता है ? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

Akhilesh kumar shrivastav